

Fifteenth Lok Sabha
XI Session(08/08/2012 to 07/09/2012)

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 8 अगस्त, 2012/17 श्रावण, 1934 (शक)

संख्या 244

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

2. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:—

क्र० सं०	सदस्य का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्री एम० राजा मोहन रेड्डी	नेल्लोर	आन्ध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगू
2.	श्रीमती डिम्पल यादव	कन्नौज	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी

3. सदन के नेता का परिचय

अध्यक्ष ने सदन के नेता, श्री सुशील कुमार शिंदे का परिचय कराया।

4. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री रंजीत सिंह गायकवाड़; आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री गंगाराम; पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री लम्बोदर बलियार; चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री भंवर सिंह डांगावास; नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री प्रताप सिंह; छठी लोक सभा की सदस्य श्रीमती मृणाल गोरे; और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री राजेश खन्ना के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित के बारे में भी उल्लेख किया:—

- (एक) हाल के वर्षों में असम में सर्वाधिक भीषण बाढ़, जिससे लगभग 24 लाख लोग प्रभावित हुए तथा सम्पत्ति और फसल का नुकसान हुआ, में 125 लोगों की मृत्यु हो गई और अनेक लोग लापता हो गए;
- (दो) जुलाई और अगस्त के महीने में असम में हुई छिट-पुट और नस्ली हिंसा, जिसमें दो लाख लोगों के बेघर होने के अलावा 73 लोग मारे गए और 61 अन्य लोग घायल हो गए;
- (तीन) अमरनाथ यात्रा के दौरान 100 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु;
- (चार) 15 जुलाई, 2012 को नेपाल में एक बस के बाढ़ प्रभावित नहर में गिर जाने से 39 तीर्थ यात्रियों, जिसमें अधिकांशतः भारतीय थे, की मृत्यु और अनेक अन्य लोगों के घायल हो जाने;
- (पांच) 30 जुलाई, 2012 को आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के समीप चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग जाने के कारण 32 लोगों की मृत्यु और 25 अन्य व्यक्तियों के घायल हो जाने;
- (छह) 30 जुलाई, 2012 को हरियाणा के भिवानी में 2 ट्रकों की टक्कर, जिसके परिणामस्वरूप 10 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 29 से अधिक तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो जाने;
- (सात) 1 अगस्त, 2012 को उत्तराखण्ड में देहरादून के चिल्हल गांव में बस के एक गहरी खाई में गिरने की सड़क दुर्घटना, जिसके परिणामस्वरूप 27 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अन्य 26 व्यक्ति घायल हो गए;

(आठ) 4 अगस्त, 2012 को बादल फटने के कारण उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों में 34 व्यक्तियों की मृत्यु होने और अनेक व्यक्तियों के गायब होने; और

(नौ) 5 अगस्त, 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कोन्सिन में गुरुद्वारा में गोली-बारी की दुःखद घटना में 4 भारतीय नागरिक और 2 भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सहित 6 व्यक्तियों की मृत्यु होने और 3 अन्य व्यक्तियों के घायल होने।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा की स्मृति के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.20 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

5. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1—20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

6. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से श्री विजय कुमार, श्री गगन नारंग और सुश्री सायना नेहवाल को लंदन ओलम्पिक, 2012 में विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भारत के लिए पदक जीतने पर बधाई दी।

7. स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि “असम में अवैध घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति का आकलन करने और कोकराझार जिला, धुब्री और अन्य जिलों के बीटीएसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई नस्ली हिंसा जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं, पर काबू पाने में सरकार की विफलता” के बारे में सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार, योगी आदित्य नाथ, एस.के. बैसीमुथियारी, अनंत गंगाराम गीते, लाल कृष्ण आडवाणी, बसुदेव आचार्य, शरद यादव, डॉ. रामचन्द्र डोम और श्री पी. करुणाकरन से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुईं और कि श्री योगी आदित्य नाथ ने प्रस्ताव पेश करने वाले बैलट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तथापि, श्री योगी आदित्य नाथ ने अनुरोध किया कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी को उनके स्थान पर स्थगन प्रस्ताव पेश करने हेतु सभा की अनुमति दी

जाए। तदनुसार उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को निम्नलिखित रूप में प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी:—

“असम में अवैध घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति का आकलन करने और कोकराझार जिला, धुब्री और अन्य जिलों के बीटीएसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई नस्ली हिंसा जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं, और हजारों लोग बेघर हुए हैं, पर काबू पाने में सरकार की विफलता।”

तत्पश्चात्, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगी। जब अनुमति दिए जाने के लिए अनापत्ति ली गई, अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि अनुमति दे दी गई है और निदेश दिया कि सभा में पत्र आदि रखे जाने के पश्चात् प्रस्ताव लिया जाए।

8. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 16 जुलाई, 2012 को प्रख्यापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2012 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 2012, जो 25 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2012, जो 25 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2012, जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 324(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2012, जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 325(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (3) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) का०आ० 1390(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हता मानदण्डों के संबंध में उड़ीसा राज्य को छूट प्रदान की गई है।
- (दो) का०आ० 1391(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हता मानदण्डों के संबंध में मेघालय राज्य को छूट प्रदान की गई है।
- (तीन) का०आ० 1264(अ) जो 1 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हता मानदण्डों के संबंध में त्रिपुरा राज्य को छूट प्रदान की गई है।
- (4) (एक) उड़ीसा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उड़ीसा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) उजाला सोसाइटी (सर्व शिक्षा अभियान), जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उजाला सोसाइटी (सर्व शिक्षा अभियान), जम्मू और कश्मीर के 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन अथॉरिटी, अरूणाचल प्रदेश, इटानगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन अथॉरिटी, अरूणाचल प्रदेश, इटानगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

9. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र और स्थानों का रिक्त होना

- (एक) अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें उत्तराखण्ड के टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य श्री विजय बहुगुणा से 23 जुलाई, 2012 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने 23 जुलाई, 2012 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।
- (दो) अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्य श्री प्रणब मुखर्जी भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 के खण्ड (1) के निबंधनों के अनुसार 25 जुलाई, 2012 से लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं।

10. दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी०सी० चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति में प्रो० पी०जे० कुरियन की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्ति पर राज्य

सभा से एक सदस्य को नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.14 बजे

11. स्थगन प्रस्ताव

लिया गया समय: 4 घंटे 42 मिनट

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि सभा अब स्थगित हो।”

वह भी बोले।

(लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पबन सिंह घाटोवार
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री बसुदेव आचार्य
5. श्री शरद यादव
6. श्री तथागत सत्पथी
7. डॉ० एम० तम्बिदुरई
8. श्री लालू प्रसाद
9. श्री अनंत गंगाराम गीते
10. श्री प्रबोध पांडा
11. श्री नरहरि महतो
12. श्री जोसेफ टोप्पो
13. श्री बदरूद्दीन अजमल

14. श्री मनोहर तिरकी
15. श्रीमती विजया चक्रवर्ती
16. श्रीमती रानी नरह
17. श्री शरीफुद्दीन शारिक
18. श्री असादुद्दीन ओवेसी
19. श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर
20. डॉ० तरुण मंडल
21. श्री राजेन गोहैन
22. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी
23. प्रो० सौगत राय
24. श्री सुशील कुमार शिंदे

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सायं 5.54 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी०एस०एन०एल० मोबाइल टावरों को स्थापित किए जाने तथा उनका उचित कार्यकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश में पश्चिमी गंडक नहर का जीर्णोद्धार और मरम्मत कार्य तत्काल आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा देश में आम आदमी के लिए तत्काल ई-पासपोर्ट सुविधा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (4) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा देश के सभी विद्यालयों में सुरक्षित पेयजल तथा बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के दक्षिणी भागों में पेयजल आपूर्ति परियोजना संबंधी हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने तथा परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि संस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ॰ मन्दा जगन्नाथ द्वारा आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का आंकलन करने के लिए राज्य में केन्द्रीय दल भेजे जाने और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री एस॰ अलागिरी द्वारा तमिलनाडु के कुड्डलोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तित्ताकुडुड़ी और पन्नाडम नगरों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 75 को चार लेन में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रमन डेका द्वारा असम में बाढ़ को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों में गाद निकालने का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री अशोक अर्गल द्वारा गुना-ईटावा रेल परियोजना के समापन कार्य में तेजी लाए जाने और इसे प्रचालनात्मक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा मध्य प्रदेश में इंदौर-बेतुल राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री पकौड़ी लाल द्वारा उत्तर प्रदेश के राबट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक खण्ड में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं और ए॰ टी॰ एम॰ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (15) श्रीमती हेलन जे० डेविडसन द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक ई० एस० आई० अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (16) श्री एम० बी० राजेश द्वारा केरल के पलाक्कड में आई० आई० टी० की स्थापना करने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (17) श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर द्वारा महाराष्ट्र में विशेष रूप से परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त मात्रा में ऊर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (18) श्री पी० कुमार द्वारा त्रिचिरापल्ली से बैंगलुरु तक सीधी रेल शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (19) श्री राजू शेटी द्वारा महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

अपराह्न 5.55 बजे

13. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

आबंटित समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 4 मिनट

शेष समय : 1 घंटा 56 मिनट

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010

श्री कपिल सिब्बल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया ।

उनका भाषण अपूर्ण रहा ।

चर्चा पूरी नहीं हुई ।

*सायं 6.50 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 9 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव ।

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.50 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए ।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुस्वार, 9 अगस्त, 2012/18 श्रावण, 1934 (शक)

संख्या 245

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने तीसरी लोक सभा के सदस्य श्री बिबुधेन्द्र मिश्र के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित के बारे में भी उल्लेख किया:—

- (एक) 7 अगस्त, 2012 को केरल में भारी वर्षा के कारण अचानक तीव्र बाढ़ और भूस्खलन के कारण 6 लोगों की मृत्यु और अनेक लोगों के लापता होने;
- (दो) 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किए गए 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 70वीं वर्षगांठ और राष्ट्रपिता तथा उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया; और
- (तीन) जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने की 67वीं वर्षगांठ।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा की स्मृति के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 11.05 बजे

2. सदस्यों द्वारा निवेदन

- (एक) देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सांविधानिक उपबंध की रक्षा करने के लिए विधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में

सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार, पन्ना लाल पुनिया और दारा सिंह चौहान ने देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सांविधानिक उपबंध की रक्षा करने के लिए विधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

#(दो) संयुक्त राज्य अमेरिका में सिखों की हाल ही में हत्या के बारे में

संयुक्त राज्य अमेरिका में सिखों की हाल ही में हत्या के बारे में निम्नलिखित सदस्यों ने निवेदन किए:—

1. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
2. श्रीमती सुषमा स्वराज
3. श्री प्रताप सिंह बाजवा
4. श्री शरद यादव

सर्वश्री एम०बी० राजेश, अर्जुन मेघवाल और डॉ० वीरेन्द्र कुमार सहयोजित हुए।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं० 21—23 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं० 24—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं० 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी लोग दिवस के बारे में उल्लेख किया।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) शेयर बाजार घोटाला तथा उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में जून, 2012 में की-गई-कार्यवाही के बारे में 18वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#अपराह्न 12.14 बजे से अपराह्न 12.47 बजे तक।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (परामर्शकों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2012 जो 10 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एस-प्रशा०/II/XI/2012 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का अवधारण) संशोधन विनियम, 2012 जो 30 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० पीएनजीआरबी/एम(सी)/11/ फाइनल टैरिफ फाइलिंग में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को सामान्य वाहक अथवा संविदा वाहक के रूप में घोषित अथवा प्राधिकृत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2012 जो 6 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं०एम(सी)/2009 में प्रकाशित हुए थे।

7. विधेयकों पर अनुमति

- (एक) महासचिव ने 15वीं लोक सभा के दसवें सत्र के दौरान 27 अप्रैल, 2012 को सभा में पिछली बार रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के समय से संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 11 विधेयक सभा पटल पर रखें:—
1. विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2012;
 2. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2012;
 3. वित्त विधेयक, 2012;
 4. प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012;
 5. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012;
 6. आनंद विवाह (संशोधन) विधेयक, 2012;
 7. बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012;

8. केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012;

9. बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण विधेयक, 2012;

10. महा-प्रशासक (संशोधन) विधेयक, 2012; और

11. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012;

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2012;

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012;

3. रेल सम्पत्ति (विधि-विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2012; और

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर “नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन” के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने “आनुवंशिक रूप से परिष्कृत खाद्य फसलों की पैदावार—संभावनाएं और प्रभाव” के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिस्वाल “इलाहाबाद बैंक के अस्थायी ड्राइवरों का आमेलन/नियमितीकरण” के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अरुण कुमार बुंडावल्ली “शहर गैस वितरण परियोजनाएं” के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 13वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) का प्रतिवेदन

श्री ए०के०एस० विजयन ने “प्राकृतिक आपदाओं के लिए एमपीलैड्स निधियों के प्रावधान की प्रक्रियाएं” विषय पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (2011-12) का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

प्रो० शेख सैदुल हक ने “बागान क्षेत्र का निष्पादन-चाय और कॉफी उद्योग” के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 102वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 13 अगस्त, 2012 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.47 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.04 बजे

15. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आबंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 1 घंटा 30 मिनट
शेष समय : 30 मिनट

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010

श्री कपिल सिब्बल द्वारा 8 अगस्त, 2012 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

*प्रतिवेदन, लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 26 जुलाई, 2012 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

उन्होंने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनंत कुमार हेगड़े
2. डॉ० के० सांबासिवा राव (भाषण अपूर्ण रहा)।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

16. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित

- (1) श्री एल० राजगोपाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (*नए अध्याय छह का अंतःस्थापन, आदि*)।
- (2) श्री एल० राजगोपाल का भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2011 (*नई धारा 44ग का अंतःस्थापन*)।
- (3) श्री ए०टी० नाना पाटील का राष्ट्रीय आस्तियां (संरक्षण) विधेयक, 2011
- (4) श्री ए०टी० नाना पाटील का प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2011 (*धारा 20क का संशोधन, आदि*)।
- (5) श्री वैजयंत पांडा का गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012 (*धारा 2 का संशोधन आदि*)।
- (6) श्री निशिकांत दुबे का भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम विधेयक, 2011
- (7) श्री निशिकांत दुबे का राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2011
- (8) डॉ० अजय कुमार का संविधान (आठवीं अनुसूची का संशोधन) विधेयक, 2011
- (9) डॉ० अजय कुमार का स्वास्थ्य बीमा (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए) विधेयक, 2011
- (10) श्री ए०टी० नाना पाटील का पर्यावरण संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (*नए अध्याय 3क का अंतःस्थापन*)।
- (11) श्री एल० राजगोपाल का उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2012 (*धारा 16 का संशोधन*)।
- (12) डॉ० राजन सुशान्त का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (*अनुच्छेद 85 और 100 का संशोधन*)।

- (13) डॉ० महेन्द्र सिंह पी० चौहाण का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2012 (नई धारा 59क और 59ख का अंतःस्थापन)।
- (14) डॉ० महेन्द्र सिंह पी० चौहाण का ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 2012
- (15) डॉ० अजय कुमार का संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुसूची का संशोधन)।
- (16) डॉ० महेन्द्र सिंह पी० चौहाण का राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 5 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)।
- (17) डॉ० महेन्द्र सिंह पी० चौहाण का चलचित्रों में मद्यसारिक पेय का महिमामंडन (प्रतिषेध) विधेयक, 2012
- (18) श्री अधीर रंजन चौधरी का पेट्रोल पंप कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2012
- (19) प्रो० (डॉ०) रंजन प्रसाद यादव का केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 3 का संशोधन)।
- (20) श्री हमदुल्लाह सईद का लक्षद्वीप मछुआरा (कल्याण) विधेयक, 2012
- (21) श्री ए०टी० नाना पाटील का संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुसूची का संशोधन)।
- @(22) डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी का एचआईवी/एड्स विधेयक, 2012
- #(23) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल का विदेशों में भारतीय नागरिकों के मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध और प्रवासी भारतीयों का कल्याण विधेयक, 2012
- %(24) श्री विष्णु पद राय का अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र शासन विधेयक, 2012

17. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन

श्री ओम प्रकाश यादव का जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2010

श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा 27 अप्रैल, 2012 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

@अपराहन 4.06 बजे

#अपराहन 4.45 बजे

%अपराहन 5.26 बजे

उन्होंने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सतपाल महाराज
2. श्री अर्जुन मेघवाल
3. श्री शीश राम ओला
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री विजय बहादुर सिंह
6. श्री जगदम्बिका पाल
7. श्री तथागत सत्पथी
8. श्री एस्० सेम्मलई
9. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
10. श्री अधीर रंजन चौधरी
11. डॉ० महेन्द्र सिंह पी० चौहाण
12. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
13. श्री वीरेन्द्र कुमार
14. डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.29 बजे

(लोक सभा सोमवार, 13 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.29 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—2072LS(S3)—09.08.2012.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 13 अगस्त, 2012/22 श्रावण, 1934 (शक)

संख्या 246

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने, लंदन ओलम्पिक, 2012 में हुई विभिन्न खेल प्रतिस्पर्द्धाओं में भारत के लिए पदक जीतने पर सर्वश्री सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और सुश्री एमसी मैरी कॉम को सभा की ओर से बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं० 41 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.13 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न सं० 42—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं० 461—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) ऑफिस ऑफ दि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन्स एण्ड ट्रेड मार्क्स, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) ऑफिस ऑफ दि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन्स एण्ड ट्रेड मार्क्स, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उपधारा (2) के अंतर्गत बॉयलर अटेंडेंट्स (संशोधन) नियम, 2012 जो 9 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 347(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा

सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2012 जो 11 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 438(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) कांआ० 1242(अ) जो 30 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या कांआ० 1105(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2012 जो 9 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ० 1038(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (9) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 2011 जो 11 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 750(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) कांआ० 1251(अ) जो 30 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एजेंसी को रबी विपणन सीजन 2012-2013 के लिए 20,000 गट्टरों की कुल मात्रा की सीमा तक 17.1.2012 के आदेश संख्या कांआ० 88(अ) को लागू करने से छूट दी गई है।
- (दो) कांआ० 1417(अ) जो 22 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जूट पैकेज सामग्री में खाद्यान्नों और चीनी की 100% पैकेजिंग का अधिदेश दिया गया है, जो उक्त आदेश की समाप्ति से आगे तीन माह की अवधि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, समय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में है।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कंपनी विधेयक, 2011 के बारे में 57 वां प्रतिवेदन।
- (2) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 2011 के बारे में 58 वां प्रतिवेदन।

#अपराहन 12.02 बजे

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का 40वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.37 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)।

अपराहन 2.00 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में आदर्श विद्यालयों के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एम०आई शानवास द्वारा केरल के वायानाड में किसानों की दयनीय दशा सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा छात्रों को विशेष रूप से केरल में शिक्षा ऋण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा मध्य प्रदेश में पचोर और शुजलपुर के बीच रेल सम्पर्क की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*57वां प्रतिवेदन और 58वां प्रतिवेदन, निदेश 71क के अंतर्गत 26 जून, 2012 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए और माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

#अपराहन 12.03 बजे से अपराहन 12.30 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (5) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा मध्य प्रदेश में रतलाम-खांडवा रेल लाइन पर रेल पुलों की उचित मरम्मत और अनुरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखण्ड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23 और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 75 पर ट्रॉमा सेंटरों (अभिघात केन्द्रों) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा मारीपत, दनकौर, दादरी इटावा, खुर्जा, अलीगढ़ और टुंडला रेलवे स्टेशनों को आगरा मंडल के अंतर्गत लाए जाने और अलीगढ़ से बरास्ता गाज़ियाबाद दिल्ली तक तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य में भी तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा पूर्व-मध्य रेलवे ज़ोन के अंतर्गत बिहार में धमहारा और कोपरिया रेलवे स्टेशनों के बीच रेल लाइन की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री ए०के० एस० विजयन द्वारा तमिलनाडु में सिंचाई के लिए किसानों को मेट्रू बांध से जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री पी०के० बिजू द्वारा नैदानिक परीक्षणों में लोगों का गिनी पिग के रूप में प्रयोग किए जाने की घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु विधि को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ० किरोड़ी लाल मीणा द्वारा रंजीत सागर बांध से राजस्थान को जल का हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.01 बजे

8. सरकारी विधेयक—चर्चा आस्थगित

श्री पवन कुमार बंसल के इस अनुरोध पर कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010 पर आगे चर्चा आस्थगित की जाए, सभा सहमत हुई।

9. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आबंटित समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 01 मिनट

शेष समय : 1 घंटा 59 मिनट

रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री श्रीकांत जेना ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

*(लोक सभा मंगलवार, 14 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 14 अगस्त, 2012/23 श्रावण, 1934 (शक)

संख्या 247

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं० 61 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न सं० 62—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं० 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 1297(अ) जो 6 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 24 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 683(अ) और 16 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1452(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 1302(अ) जो 7 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली एमआरटीएस फेज- III का विस्तार बदरपुर-फरीदाबाद और वैशाली (गाजियाबाद) कॉरीडोर तक किए जाने को शामिल किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (क) (एक) उड़ीसा एगो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) उड़ीसा एगो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) महाराष्ट्र एगो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) महाराष्ट्र एगो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) असम एगो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) असम एगो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) असम एगो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) असम एगो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 1102(अ) जो 15 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरकों के विनिर्देश तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किए गए हैं।

- (दो) उर्वरक नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2012 जो 22 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1420(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) का० आ० 1421(अ) जो 22 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले उसमें उल्लिखित अनंतिम उर्वरकों के विनिर्देश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियत किए गए हैं।
- (12) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 9 अगस्त, 2012 को हुई अपनी बैठक में 21 मई, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2012 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. रेल अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

डॉ० अर्जुन राय ने “रेल मंत्रालय की लम्बित निर्माणाधीन परियोजनाएं—चेरथला, केरल में ऑटोकास्ट फैंक्ट्री को शुरू करना—एक मामला अध्ययन” के बारे में रेल अभिसमय समिति (2009) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) “विदेशों में भारतीय विवाहों से संबंधित समस्याएं: विदेशी भारतीय पतियों द्वारा त्यागी गई भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने/उनके पुनर्वास के लिए योजना” के बारे में 15वां प्रतिवेदन* (15वीं लोक सभा)।
- (2) ‘जलदस्युता विधेयक, 2012’ के बारे में 16वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

7. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री अनंत कुमार ने वर्ष 2011-12 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में दसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

8. श्रम संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री हेमानंद बिसवाल ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में 19वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के 25वें की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में 20वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के 26वें की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (3) ‘नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय—एक समीक्षा’ के बारे में 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के 27वें की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

*15वां प्रतिवेदन, लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 12 जुलाई, 2012 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

9. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री रेवती रमण सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

“कि यह सभा श्री विजय बहुगुणा, जिन्होंने 23 जुलाई, 2012 से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है, के स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार अपने में से लोक सभा के एक सदस्य को निर्वाचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री रेवती रमण सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करेंगे—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, राज्य सभा से श्री पी०आर० राजन के अवकाशप्राप्त करने के कारण उत्पन्न रिक्ति के बाबत एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.06 बजे

11. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

“कि यह सभा 13 अगस्त, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 40वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराहन 12.06 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

असम में हिंसा के खिलाफ आजाद मैदान, मुंबई में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को भड़काए जाने के बारे में

श्री अनंत गंगाराम गीते और श्री संजय निरूपम ने असम में हिंसा के खिलाफ आजाद मैदान, मुंबई में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को भड़काए जाने के बारे में निवेदन किया।

*सदस्यों ने अपराहन 12.06 बजे से अपराहन 1.05 बजे तक अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

डॉ० वीरेन्द्र कुमार, डॉ० संजय जायसवाल, सर्वश्री शिवकुमार उदासी, राजेन्द्र अग्रवाल, देवजी एम० पटेल, रमेश विश्वनाथ काट्टी, पन्ना लाल पुनिया और सुरेश काशीनाथ तवारे सहयोजित हुए।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.05 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.04 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एन०एस०वी० चित्तन द्वारा श्री के० कामराज के जन्म दिवस 15 जुलाई को उनकी ख्याति के अनुरूप पूरे देश में 'राष्ट्रीय दिवस' के रूप में घोषित करने तथा उसे मध्याह्न भोजन योजना के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री पी० विश्वनाथन द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नेम्मेली लवणता-निरोधक संयंत्र शीघ्र चालू करने तथा पट्टिपुलम गांव में एक अन्य संयंत्र के लिए अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एंटो एंटोनी द्वारा सबरी रेल परियोजना को केन्द्रीय सरकार की योजना के रूप में कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखण्ड में श्रीनगर जल-विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान में भरतपुर को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपदा राहत कोष से पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री निशिकांत दुबे द्वारा संथाल परगना, झारखण्ड के केतौरी, भुइयां, घटवाल भुइयां-घटवाल, पेरियार और कदर समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (8) श्री आर० के० सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद-चित्रकूट, चित्रकूट-बांदा और बांदा-महोबा खण्डों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 की मरम्मत और अनुरक्षण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती सीमा उपाध्याय द्वारा देश में मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री मंगनी लाल मंडल द्वारा बिहार के झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों का विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार, विद्युतीकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र में किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों को अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा मुंबई, महाराष्ट्र में बृहन मुंबई वर्षा जल निकासी परियोजना के लिए शेष धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री प्रबोध पांडा द्वारा पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में कम मानसून के कारण, जल की भारी कमी का सामना कर रहे दुखी लोगों की समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार में भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर इकाई के कर्मकारों को वेतन दिए जाने तथा इकाई के उत्पादन को बढ़ाए जाने पर जोर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.05 बजे

14. नियम 193 के अधीन चर्चा

उपलब्ध समय : 4 घंटे

लिया गया समय : 1 घंटा 51 मिनट

शेष समय : 2 घंटे 9 मिनट

श्री बसुदेव आचार्य द्वारा देश में नक्सलवादी और माओवादी गतिविधियों में हुई वृद्धि के बारे में 17 दिसम्बर, 2009 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:

1. श्री भक्त चरण दास
2. कुमारी सरोज पाण्डेय
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री दारा सिंह चौहान (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराहन 3.45 बजे

15. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का निधन

गृह मंत्री और सभा के नेता ने सभा को सूचित किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री विलासराव देशमुख का 14 अगस्त, 2012 को निधन हो गया है।

तत्पश्चात्, सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।

अपराहन 3.46 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 16 अगस्त, 2012 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक)

संख्या 248

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने राज्य सभा के वर्तमान सदस्य तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री विलासराव देशमुख के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

चूंकि निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा स्थगित हो गई, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 81—100 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 17 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934 (शक)

संख्या 249

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

चूंकि सदस्यों ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सुरक्षा के कथित संकट के मद्देनजर बंगलौर तथा देश के अन्य भागों से पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रश्न काल के दौरान निवेदन किए, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 101—124 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. सदस्यों द्वारा निवेदन

पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सुरक्षा के कथित संकट के मद्देनजर बंगलौर तथा देश के अन्य भागों से पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन से उत्पन्न स्थिति के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सुरक्षा के कथित संकट के मद्देनजर बंगलौर तथा देश के अन्य भागों से पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किए:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. श्री निनोंग ईरींग

3. कुंवर रेवती रमन सिंह
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री शरद यादव
6. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
7. श्री टी०के०एस० एलेंगोवन
8. श्री बसुदेव आचार्य
9. श्री वैजयंत पांडा
10. डॉ० मनमोहन सिंह
11. श्री अनंत गंगाराम गीते
12. डॉ० संजीव गणेश नाईक
13. डॉ० एम० तम्बिदुरई
14. श्री नामा नागेश्वर राव
15. श्री गुरुदास दासगुप्त
16. श्री लालू प्रसाद
17. डॉ० मेहबूब बेग
18. श्री पी०डी० राय
19. श्रीमती विजया चक्रवर्ती
20. डॉ० थोकचोम मैन्या

श्री एस०एस० रामासुब्बू सहयोजित हुए।

श्री सुशील कुमार शिन्दे ने उत्तर दिया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“जो चर्चा यहां पर हुई है वह एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। मेरी तथा प्रत्येक सदस्य की यह इच्छा थी कि हम इस विषय पर अपनी चिन्ता व्यक्त करें। हमारे सदन में 38 दल हैं और उनके अलावा निर्दलीय सदस्य भी हैं। यहां पर पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व है। मेरी इच्छा थी कि यह सभा एक स्वर में पूर्वोत्तर के हमारे भाइयों को एक सशक्त संदेश भेजे कि हम उनके साथ हैं और यह देश उनका अपना देश है तथा उन असामाजिक तत्वों को भी एक सशक्त संदेश भेजा जाना चाहिए जो ऐसी शरारती गतिविधियों में

संलिप्त हैं जो हमारे पूर्वोत्तर के भाइयों और बहनों को कष्ट पहुंचा रहे हैं और साथ ही पूरे राष्ट्र को पीड़ा दे रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है तथा मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने चर्चा के माध्यम से ऐसा ही एक संदेश भेजा है।”

अपराहन 1.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी लिमिटेड और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल जुडिशियल अकादमी, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल जुडिशियल अकादमी, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2012 जो 27 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 593(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित सरकारी-निजी भागीदारी का कार्यान्वयन; इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 5) (कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा)।
- (दो) मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए विद्युत मंत्रालय से संबंधित विशेष प्रयोजन वाहनों के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 6) (कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा)।
- (तीन) मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला ब्लॉकों के आबंटन तथा कोयला उत्पादन के संवर्धन के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 7) (कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा)।
- (10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत आंध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2011 जो 29 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 666/3/20/आईआर/324 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) डोन्यी पालो अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (पांच) असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (छह) रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) दूसरा संशोधन नियम, 2012 जो 18 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 372(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) दूसरा संशोधन नियम, 2012 जो 18 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 373(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) यू० पी० प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यू० पी० प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) एनटीपीसी लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 13 अगस्त, 2012 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर विधेयक, 2012 को पारित किया।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर विधेयक, 2012

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 1.05 बजे

8. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 21 अगस्त, 2012 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.13 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.15 बजे पुनःसमवेत हुई।)

(अपराहन 2.25 बजे महासचिव ने घोषणा की कि चूंकि गणपूर्ति* नहीं है, अतः माननीय अध्यक्ष ने निदेश दिया है कि लोक सभा अपराहन 2.45 बजे समवेत होगी।)

अपराहन 2.45 बजे

9. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आवंटित समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 46 मिनट

शेष समय : 1 घंटा 14 मिनट

रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री श्रीकांत जेना द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए 13 अगस्त, 2012 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जसवंत सिंह
2. श्री संजय निरूपम
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. डॉ॰ बलिराम
6. श्री आर॰ थामराईसेलवन
7. श्री एस॰ सेम्मलई
8. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*अपराहन 2.15 बजे से अपराहन 2.25 बजे तक गणपूर्ति के लिए घंटी तीन बार बजाई गई।

अपराहन 3.30 बजे

10. प्रस्ताव

श्री एस० सेम्मलई ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 17 अगस्त, 2012 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 3.31 बजे

11. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प—अस्वीकृत

(I) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा 18 मई, 2012 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

“बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य के मोतिहारी जिला, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की “कर्मभूमि” भी रहा है, में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करे।”

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन मेघवाल (अपना भाषण आरंभ किया)
2. श्री हरीश चौधरी
3. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
4. श्री रमा शंकर राजभर
5. डॉ० प्रसन्न कुमार पाटसाणी
6. श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

अपराहन 4.31 बजे

(II) श्री बसुदेव आचार्य ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया—

“यह सभा देश के विभिन्न भागों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाओं पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए।”

वे भी बोले।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. श्री रमा शंकर राजभर
4. डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
5. श्री जितेन्द्र सिंह

श्री बसुदेव आचार्य ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.49 बजे

12. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प—विचाराधीन

श्री अर्जुन मेघवाल ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों के समान सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करे।” (उनका भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

*सायं 06.19 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 21 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*सदस्यों ने सायं 05.52 बजे से सायं 6.19 बजे तक अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 21 अगस्त, 2012/30 श्रावण, 1934 (शक)

संख्या 250

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 125 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 126—144 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) साउथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) साउथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) चीनी (2011-12 के उत्पादन के लिए कीमत अवधारण) अनन्तिम आदेश, 2012 जो 7 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 125(अ)/आव/चीनी में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) काआ 1059(अ) जो 11 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो मिल-वार निर्यात कोटा प्रणाली न अपनाए जाने तथा बिना किसी प्रतिबंध के चीनी के निर्यात की अनुमति दिए जाने के बारे में है।
- (तीन) सांकाणि 428(अ)/आव/गन्ना जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी सीजन 2011-2012 के लिए गन्ने का फैंक्ट्री-वार उचित और लाभकारी मूल्य अधिसूचित किया गया है।

- (8) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) विधिक मापविज्ञान (डिब्बाबंद वस्तु) संशोधन नियम, 2012 जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 427(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 27 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या सांकांनि० 594 (अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण)।
- (दो) विधिक मापविज्ञान (डिब्बाबंद वस्तु) (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 426 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (9) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 4 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी “मेट्रो रेल के लिए सलाहकार बोर्ड (कारबार का संव्यवहार) नियम, 2012” जो 30 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकांनि० 408(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) चेयरमैन, पूर्णकालिक सदस्यों तथा अंशकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) नियम, 2012 जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकांनि० 464(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति

के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.03 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमेंट कारखानों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ॰ थोकचोम मैन्या द्वारा मणिपुर में इम्फाल-जिरीबाम सड़क का बारहमासी सड़क के रूप में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा देश में साध्य रोगों का शिकार बनने वाले बालकों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार में सड़कों का निर्माण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिटूमन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के सूखा प्रवण भागों, विशेष रूप से राज्य के फतेहपुर जिले को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीतापुर, हरदोई और कानपुर में विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में महेश खुंट से सुलतानगंज के बीच सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (9) श्री एम० अब्दुल रहमान द्वारा विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्राथमिकता देने के लिए एक कानून अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डॉ० पुलीन बिहारी बासके द्वारा पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री कैलाश नारायण सिंह देव द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार की कानू, लोहार, कुम्हार, धानुक, मल्लाह, नोनिया, कहार, बिंद, तात्वा, तंती, गंगोट, केवट, गड़रिया, तुरहा, नागर जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.04 बजे

(लोक सभा बुधवार, 22 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 22 अगस्त, 2012/31 श्रावण, 1934 (शक)

संख्या 251

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री प्रभातसिंह एच० चौहाण के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 145—164 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2012 जो 28 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 596(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अंतिम परीक्षा) नियम, 2012 जो 26 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०कार्गि० 504(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलूरु के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलूरु के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा समिति, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा समिति, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) अरूणाचल प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन अथॉरिटी, ईटानगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अरूणाचल प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन अथॉरिटी, ईटानगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) अरूणाचल प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन अथॉरिटी, ईटानगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अरूणाचल प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन अथॉरिटी, ईटानगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (23) (एक) इण्डियन काउंसिल ऑफ सोशियल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इण्डियन काउंसिल ऑफ सोशियल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 55 की उप-धारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2012 जो 25 मई, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं० एनएचबी-सामान्य विनियम, 2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत "मोतीलाल नेहरू की 150वीं जन्म वर्षगांठ" के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ पचास रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2012 जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 463(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (38) वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 143 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि० 415(अ) जो 1 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2012 को वित्त अधिनियम, 2012 के खण्ड क, ख, घ, ङ के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि० 420(अ) जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2012 को वित्त अधिनियम, 2012 के उपबंध ग, च, छ, झ के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (39) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 और 24 के अंतर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुम्बई के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (41) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट—संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 9) (कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा)—परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रिया-कलाप की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2012, जो 23 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ० 1169(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) का०आ० 1323(अ) जो 13 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197क के प्रयोजन के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194ज के अंतर्गत किए गए कुछ विनिर्दिष्ट संदाय पर कर की कटौती नहीं होगी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का०आ० 1324(अ) जो 14 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नेशनल ईरानियन ऑयल कम्पनी को विदेशी कम्पनी के रूप में तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(48) के प्रयोजन के लिए 18.01.2012 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2012, जो 2 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1453(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2012, जो 26 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1705(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (43) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सा०का०नि० 560(अ) जो 13 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा०का०नि० 304(अ) जो 18 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा०का०नि० 305(अ) जो 18 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 9/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) सांकांनि० 327(अ) जो 27 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि० 328(अ) जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनि० 343(अ) जो 8 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनि० 344(अ) जो 8 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनि० 345(अ) जो 8 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनि० 362(अ) जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 73/2005-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकांनि० 363(अ) जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 74/2005-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांकांनि० 364(अ) जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 75/2005-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बारह) सांका०नि० 365(अ) जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 10/2008-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सांका०नि० 400(अ) जो 29 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या 85/2004-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सांका०नि० 442(अ) जो 12 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सांका०नि० 446(अ) जो 14 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 38/96-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सांका०नि० 508(अ) जो 27 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सांका०नि० 259(अ) जो 28 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 16/2011-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) बैगेज (दूसरा संशोधन) नियम, 2012, जो 23 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 315(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सांका०नि० 386(अ) जो 24 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 31 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बीस) सांकांनिं 456(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 68/2011-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सांकांनिं 385(अ) जो 24 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 68/2011-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) सांकांनिं 445(अ) जो 14 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 31 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सीमा-शुल्क क्षेत्रों में कार्गो की संभलाई (संशोधन) विनियम, 2012 जो 16 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 370(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) सेनवैट क्रेडिट (छठा संशोधन) नियम, 2012 जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 483(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) सांकांनिं 831(अ) जो 16 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छब्बीस) सांकांनिं 924(अ) जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्ताईस) सांकांनिं 943(अ) जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (अट्ठाईस) सांकांनिं 1116(अ) जो 15 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतीस) सांकांनिं 1147(अ) जो 21 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या 38/2012-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीस) सांकांनिं 1190(अ) जो 24 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या 38/2012-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकत्तीस) सांकांनिं 1256(अ) जो 31 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बत्तीस) सांकांनिं 1305(अ) जो 7 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तैंतीस) सांकांनिं 1304(अ) जो 7 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या 38/2012-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौंतीस) सांकांनिं 1356(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पैंतीस) सांकांनिं 1394(अ) जो 21 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 49/2012-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छत्तीस) सांकांनिं 1440(अ) जो 29 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सैंतीस) सांकांनिं 1504(अ) जो 5 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 52/2012-सींशुं (एनंटीं) का अधिक्रमण किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अड़तीस) सांकांनिं 1577(अ) जो 13 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतालीस) सांकांनिं 1609(अ) जो 19 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 56/2012-सींशुं (एनंटीं) का अधिक्रमण किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चालीस) सांकांनिं 1727(अ) जो 31 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकतालीस) सांकांनिं 1730(अ) जो 1 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 61/2012-सींशुं (एनंटीं) का अधिक्रमण किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बयालीस) अधिसूचना संं 47/2012-सीमा शुल्क जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डी-आयलड सोया एक्सट्रैक्ट, मूंगफली तेल की खली/ऑयल केक मील, सनफ्लावर आयल केक/आयल केक मील, कैनोला आयल केक/आयल केक मील और मस्टर्ड ऑयल केक/ऑयल केक मील को 31 मार्च, 2013 तक मूल

सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करने के लिए 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं० 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (44) उपर्युक्त (43) की मद संख्या (दो) से (पांच), (सत्रह), (अठारह), (छब्बीस) और (सत्ताईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले आठ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 2012 जो 18 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 303(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा०का०नि० 338(अ) जो 8 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अंतर्गत उन पर उद्ग्रहणीय समग्र उत्पाद शुल्क से आभूषण तथा सभी सामग्रियों को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा०का०नि० 339(अ) जो 8 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा०का०नि० 340(अ) जो 8 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 10/1996-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सेनवैट क्रेडिट (पांचवां संशोधन) नियम, 2012 जो 8 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 341(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा०का०नि० 342(अ) जो 8 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 15/2010-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) सांकायनं 351(अ) जो 10 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के०उ०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकायनं 409(अ) जो 30 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकायनं 509(अ) जो 27 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकायनं 461(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा सेनवैट नियम, 2004 के नियम 5 के अंतर्गत सेनवैट क्रेडिट के रिफंड के लिए प्रक्रिया, सुरक्षा-उपाय, शर्तें तथा सीमाएं अधिकथित किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांकायनं 541(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा छूट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, स्क्रिप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जमा करके घरेलू विनिर्माताओं से माल खरीदने के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जो कि फोकस प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई है, के उपयोग को समर्थ बनाया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सांकायनं 542(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा छूट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, स्क्रिप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जमा करके घरेलू विनिर्माताओं से माल खरीदने के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जो कि फोकस प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई है, के उपयोग को समर्थ बनाया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सांकायनं 543(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा छूट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, स्क्रिप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जमा करके घरेलू विनिर्माताओं से माल खरीदने के

लिए एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर इंसेन्टीव स्क्रिप के उपयोग को समर्थ बनाया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सांकांनि० 544(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा छूट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन, स्क्रिप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जमा करके घरेलू विनिर्माताओं से माल खरीदने के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप, जो कि विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत प्रदान की गई है, के उपयोग को समर्थ बनाया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सांकांनि० 545(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा छूट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन, स्क्रिप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जमा करके घरेलू विनिर्माताओं से पूंजीगत माल अधिप्राप्त करने के लिए स्टेटस होल्डर इंसेन्टीव स्क्रिप के उपयोग को समर्थ बनाया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(46) उपर्युक्त (45) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) आढ़ती विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 33 के अंतर्गत प्राप्तिओं के समनुदेशन का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 जो 2 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकांनि० 281(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सांकांनि० 467(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत उदग्रहणीय समग्र सेवा कर से कतिपय विनिर्दिष्ट सेवाओं को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांकांनिं 468(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवा कर से विनिर्दिष्ट सेवाओं पर मूल्य के भाग को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनिं 469(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विदेशी राजनयिक मिशन के औपचारिक इस्तेमाल के लिए उपयोग की जा रही सेवाओं को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सेवा के उपबंध का स्थान नियम, 2012 जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकांनिं 470(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनिं 471(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अचल सम्पत्ति पर संदत्त संपत्ति कर को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनिं 472(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कराधेय सेवाओं तथा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 की उपधारा (2) के अंतर्गत सेवा कर के दायी व्यक्तियों द्वारा संदाय सेवा कर का विस्तार अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनिं 473(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल के निर्यातकों द्वारा प्राप्त कतिपय विनिर्दिष्ट सेवाओं को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनिं 474(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम की धारा 66ख के अंतर्गत उदग्रहणीय समग्र सेवा कर से टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर या साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेनरशिप पार्क द्वारा प्रदान की जा रही कराधेय सेवाओं को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनिं 475(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय लघु सेवा प्रदाताओं को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दस) सांका०नि० 476(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय छूट अधिसूचनाओं को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांका०नि० 477(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या 32/2007-सेवा कर का अधिक्रमण किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 478(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) कराधान का स्थान (संशोधन) नियम, 2012 जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 479(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सांका०नि० 480(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या 28/2011-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सांका०नि० 481(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवा कर नियम, 1994 के 6क के अंतर्गत छूट अधिसूचना लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सांका०नि० 482(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेज़ प्राधिकृत प्रचालनों को प्रदत्त सेवाओं पर छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सेवा कर (कठिनाइयों का निवारण) दूसरा आदेश, 2012 जो 20 जून, 2012 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 518(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सांका०नि० 519(अ) जो 29 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल निर्यातकों को विनिर्दिष्ट सेवाओं पर रिफण्ड देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सांका०नि० 520(अ) जो 29 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल निर्यातक द्वारा प्राप्त कतिपय विनिर्दिष्ट सेवाओं को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बीस) सेवा कर (मामलों का निपटान) नियम, 2012 जो 29 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 403(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सेवा कर (अपराधों का सम्मिश्रण) नियम, 2012 जो 29 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 404(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) सांकांनि 421(अ) जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तारीख को अधिसूचित करना है जब वित्त अधिनियम की उक्त धारा 65 के उपबंध लागू नहीं होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सांकांनि 422(अ) जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तारीख को अधिसूचित करना है जब वित्त अधिनियम की उक्त धारा 65क के उपबंध लागू नहीं होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) सांकांनि 423(अ) जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तारीख को अधिसूचित करना है जब वित्त अधिनियम की उक्त धारा 66 के उपबंध लागू नहीं होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) सांकांनि 424(अ) जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तारीख को अधिसूचित करना है जब वित्त अधिनियम की उक्त धारा 66क के उपबंध लागू नहीं होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छब्बीस) सेवा कर (मूल्य का अवधारण) दूसरा संशोधन नियम, 2012 जो 6 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 431(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्ताईस) सेवा कर (कठिनाई का निवारण) आदेश, 2012 जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 459(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्टाइस) सांकांनि० 523(अ) जो 2 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारतीय रेल द्वारा प्रदत्त कतिपय विनिर्दिष्ट सेवाओं को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(50) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सांकांनि० 466(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय यूनियन (स्वीडन को छोड़कर) में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पेंटाइरीश्रीटोल का भारत में आयात किए जाने पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सांकांनि० 551(अ) जो 10 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विट्रीफाइड पोसीलेन टाइल्स के आयात का उसमें उल्लिखित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनंतिम मूल्यांकन हेतु उपबंध करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सांकांनि० 568(अ) जो 16 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय थाईलैंड और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स' (नकली ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स को छोड़कर) का भारत में आयात किए जाने पर अभिहित प्राधिकारी के प्रतिपाटन अन्वेषण संबंधी अंतिम निष्कर्ष में संस्तुत दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सांकांनि० 579(अ) जो 19 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमरीका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'एसीटोन' का भारत में आयात किए जाने पर 18 जून, 2013 तक तथा इसके समेत, प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को बढ़ाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सांकांनि० 272(अ) जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना

संख्या 117/2010-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (छह) सांकांनि० 332(अ) जो 2 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट समीक्षा के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में अन्वेषण का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित आंशिक रूप से ओरिएंटेड यार्न का भारत में आयात किए जाने पर पाँच वर्ष की अवधि तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनि० 335(अ) जो 4 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विस्कोस फिलामेंट यार्न के आयात पर और पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनि० 359(अ) जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह उपबंध करना है कि मैसर्स हेनिंग ताइआनफू रैप नीटिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) के माध्यम से मैसर्स मन्ना, कोरिया आर०पी० (निर्यातक) द्वारा चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी फ्लेक्स का आयात नई नौप्रेषण समीक्षा पूरी होने तक अनंतिम रूप से आकलित किया जाएगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनि० 360(अ) जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ड्राई सेल बैट्रीज के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को वर्तमान सनसेट समीक्षा अन्वेषण आरंभ होने की तारीख से एक वर्ष की और अवधि अर्थात् 12 अप्रैल, 2013 को शामिल करते हुए उस तक बढ़ाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दस) सांका०नि० 361(अ) जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित टायर क्यूरिंग प्रेस पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण से 'क्यूरिंग बाई-साईकिल टायरों के लिए सिक्स डे लाईट क्यूरिंग प्रेस' को हटाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांका०नि० 374(अ) जो 18 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'जिंक ऑक्साइड' के आयात पर 6 मई, 2013 तक जिसमें वह तारीख भी शामिल है प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सांका०नि० 377(अ) जो 21 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के निष्कर्षों के अनुसरण में संयुक्त अरब अमीरात और ईरान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'व्हाइट सीमेंट' के आयात पर 11 अप्रैल, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सांका०नि० 398(अ) जो 29 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के निष्कर्षों के अनुसरण में चीनी टाईपे में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित एसीटोन के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क वापस लेना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सांका०नि० 399(अ) जो 29 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित तथा भारत में आयातित एनीलाईन के आयात पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पन्द्रह) सांका०नि० 416(अ) जो 4 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और जापान में उद्भूत अथवा

वहां से निर्यातित डिजीटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सांकांनि० 434(अ) जो 7 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कतिपय निर्दिष्ट श्रेणियों को छोड़कर 'सभी मोटाइयों और विभाओं वाले प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्डों' का भारत में आयात किए जाने पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सांकांनि० 528(अ) जो 3 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ केन्या, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित सोडा एश के आयात पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सांकांनि० 401(अ) जो 29 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 17 जनवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या 1/2012-सी०शु० (एस०जी०) को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सांकांनि० 402(अ) जो 29 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फथैलिक एनहाइड्राईड के आयात पर 17 जनवरी, 2012 से 16 जनवरी, 2013 तक 10% यथामूल्य की दर पर अंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(51) उपर्युक्त (50) की मद संख्या (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(52) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकांनि० 349(अ) जो 10 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा खान और खनिज

(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (53) (एक) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (तीन) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनेजमेंट रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनेजमेंट रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2012 जो 28 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 256(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 31 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 412 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

4. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. चार्ल्स डिएस ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित “डाकघरों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का संवितरण” के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों

पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सतपाल महाराज ने 'सैनिक स्कूलों के कार्यकरण की समालोचनात्मक समीक्षा' विषय पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.04 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) डॉ॰ चार्ल्स डिएस द्वारा केरल के कोच्चि के वल्लारपदम कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल को तट व्यापार विधि से छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री मानिक टैगोर द्वारा तमिलनाडु के लोगों को बिना किसी प्रतिबंध के परम्परागत खेल 'जल्लीकट्टू' आयोजित करने में समर्थ बनाने के लिए संरक्षित जानवरों की सूची से 'सांड' को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा पम्पा, अचनकोविल तथा वैप्पार नदियों को आपस में जोड़े जाने के बारे में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की रिपोर्ट को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कुट्टनाड में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) मोहम्मद असरारूल हक द्वारा बिहार के किशनगंज जिले के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ॰ महेश जोशी द्वारा देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (7) डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा गुजरात में विभिन्न केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत निधियों के इस्तेमाल के बारे में गुजरात के प्रमुख अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री अशोक अर्गल द्वारा ग्वालियर-भिण्ड-इटवा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 पर क्वारी, चम्बल और यमुना नदी पर पुलों को चार लेन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रमेन डेका द्वारा सीमा पार से असम में विदेशी राष्ट्रियों के अवैध प्रवास की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भदोही में समपार पर उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 को चार लेन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्रीमती हेलन जे० डेविडसन द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण के एक उपकेन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री गणेशराव एन० दूधगांवकर द्वारा महाराष्ट्र के परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (471 किमी से 476/00) को चार लेन बनाए जाने के लिए मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा वन्यजीव अधिनियम की अनुसूची छह में लाल चन्दन को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा उड़ीसा के पुरी के विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर को परिरक्षित करने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री जोस० के० मणि द्वारा अनिवासी भारतीय यात्रियों द्वारा पहने सोने के आभूषण को सीमा-शुल्क से छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

7. नियम 193 के अधीन चर्चा

आवंटित समय : 4 घंटे

लिया गया समय : 2 मिनट

शेष : 3 घंटे 58 मिनट

श्री राजीव रंजन सिंह ने देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा उठायी।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.03 बजे

(लोक सभा गुस्वार, 23 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

गुरुवार, 23 अगस्त, 2012/1 भाद्रपद, 1934 (शक)

संख्या 252

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 165—184 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) भाषायी अल्पसंख्यक आयोग के जुलाई, 2010 से जून, 2012 तक की अवधि के लिए 48वीं रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)---

(एक) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन अधिनियम, 2012 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 1716(अ) जो 27 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 अगस्त, 2012 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जब उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल (वैगन की ओवरलॉडिंग के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 जो 17 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 570(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 2012 जो 12 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 137(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री एस सेम्मलई ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित "पेट्रोलियम पदार्थों की अल्प-वसूलियों की चुनौतियां" के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.02 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.00 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एन० एस० वी० चित्तन द्वारा देश में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए खतियों के निर्माण को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एम० के० राघवन द्वारा रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में जिला अस्पतालों का मेडिकल कॉलेज के रूप में स्तरोन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री हर्ष वर्धन द्वारा देश में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त निधियों के ब्यौरे सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा संपूर्ण उड़ीसा राज्य को सूखा प्रभावित घोषित किए जाने तथा राज्य के किसानों को समुचित वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री सतपाल महाराज द्वारा देश में हाइब्रिड कारों के आयात को सीमा-शुल्क से मुक्त घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री विलास बी० मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर शहर तथा उसके आसपास में ताप विद्युत संयंत्रों की प्रस्तावित स्थापना की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अवतार सिंह भडाना द्वारा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली नदियों के नदी तल पर अवैध खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री हरिभारु जावले द्वारा जलगांव विमानपत्तन, महाराष्ट्र से मुंबई, पुणे और दिल्ली के लिए उड़ानों का परिचालन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फसल बीमा स्कीम के अंतर्गत किसानों को समुचित मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा देश में टोल टैक्स संग्रहण को युक्तिसंगत तथा पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा में एक सैन्य इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री सी० राजेन्द्रन द्वारा तमिलनाडु के साउथ चेन्नई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शोलिंगनल्लूर और वेलाचेरी शहरों में नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री नृपेन्द्र नाथ राय द्वारा गिटाल्ढा (बांग्लादेश) से कोलकाता के बीच रेल सेवा पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 24 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 24 अगस्त, 2012/2 भाद्रपद, 1934 (शक)

संख्या 253

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 185 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 186—204 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राष्ट्रीय पारिषद प्रभारों और घाटों की साझेदारी) (दूसरा संशोधन) विनियम 2012 जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/44/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

श्री विश्व मोहन कुमार ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पांचवां और छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'चिह्नित किए गए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता—उपयोग की तुलना में उनकी क्षमता' के बारे में 29वां प्रतिवेदन।
- (2) 'केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का कार्यकरण' के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

6. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'घटते भू-जलस्तर का संवर्धन, सतत् विकास, संरक्षण, प्रबंधन, भू-जल का उपयोग तथा जल प्रदूषण का निवारण' के बारे में 10वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

- (2) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

7. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'उर्वरकों का उत्पादन, मांग और उपलब्धता तथा इसका वितरण' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री गोपीनाथ मुंडे ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) से संबंधित 'शीरे का उत्पादन, मूल्य-निर्धारण और वितरण' विषय के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित 'संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 27 अगस्त, 2012 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.05 बजे

(लोक सभा सोमवार, 27 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 27 अगस्त, 2012/5 भाद्रपद, 1934 (शक)

संख्या 254

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने वयोवृद्ध अभिनेता श्री ए०के० हंगल के निधन के बारे में उल्लेख किया।
तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 205 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 206—224 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 12.01 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने टाउन्सविले, ऑस्ट्रेलिया में 26 अगस्त, 2012 को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी अंडर-19 विश्व कप जीतने पर सभा की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी।

अपराहन 12.01 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 7 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-12/13/2/2010-पीएण्डडी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2012 जो 4 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 336(अ) में प्रकाशित हुई थी।
 - (दो) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 2012 जो 24 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 382(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत 'कोचीन पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) संशोधन विनियम, 2012 को अनुमोदित किए जाने के बारे में 11 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सांकाणि 439(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2012 जो 11 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 440(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की रीति, चेयरपर्सन एवं अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा जांच की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2012 जो 11 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 556(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (7) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) शहद का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और अनुश्रवण) संशोधन नियम, 2012 जो 16 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ० 1581(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पशु-पिंजड़ा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2012 जो 8 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ० 1315(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) कांआ० 725(अ) जो 3 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्रशड बोन्स, ओसीन और जिलेटिन (क्वालिटी नियंत्रण और अनुश्रवण) नियम, 2012 में संशोधन किया गया है।
- (चार) क्रशड बोन्स, ओसीन और जिलेटिन (क्वालिटी नियंत्रण और अनुश्रवण) नियम, 2012 जो 3 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ० 726(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (8) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(क) की उपधारा (3) के अंतर्गत सुरक्षोपाय (गुणात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 जो 24 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 381(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 जो 11 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 553(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) नेशनल जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 23 के अंतर्गत नेशनल जूट बोर्ड विनियम, 2012 जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 241(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कांआ 453(अ) जो 16 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या कांआ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) कांआ 395(अ) जो 7 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित विभिन्न राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।
- (तीन) कांआ 2336(अ) जो 11 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीमा सड़क संगठन को अरुणाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 229 (तवांग-बोमडिला निचिपु खण्ड) के विकास के संबंध में कार्य करने का निदेश दिया गया है।

(चार) का०आ० 2337(अ) जो 11 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(14) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 452(अ) जो 16 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 13 अगस्त, 2012 को हुई अपनी बैठक में श्री एस०एस० अहलुवालिया द्वारा राज्य सभा से अवकाश ग्रहण करने के कारण हुए रिक्त स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा उन्होंने राज्य सभा के सदस्य श्री रविशंकर प्रसाद, जो उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं, के नाम की सूचना भी दी।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी० करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री बी० के० हाण्डिक ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सुदृढ़ किए जाने तथा इसे संवैधानिक दर्जा दिए जाने हेतु उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2012-13) के पहले प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की।

अपराहन 12.03 बजे

*9. प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधान मंत्री ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधी एक वक्तव्य दिया।

*उन्होंने अपने लिखित भाषण के कुछ अंश भी सभा पटल पर रखे।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

1. श्रम और रोजगार मंत्री ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय—एक समीक्षा' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
2. वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2011-12 और 2012-13) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 20वें और 29वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री ए० के० एंटोनी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन ऐसी रीति से जो अध्यक्ष निदेश करे, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों का निर्वाचन करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. कॉफी बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री ज्योतिरादित्य एम० सिंधिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(2) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य बोर्ड की शेष अवधि के लिए अर्थात् 4 नवम्बर, 2012 तक श्री डी० वी० सदानन्द गौड़ा, जिन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन ऐसी रीति से जो अध्यक्ष निदेश करे, बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. केन्द्रीय भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों की सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11 की उपधारा (2) के साथ पठित भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से जो अध्यक्ष निदेश करे, केन्द्रीय भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों का निर्वाचन करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री वायालार रवि ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से जो अध्यक्ष निदेश करे, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों का दो वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचन करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने श्री आनंद शर्मा की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से जो अध्यक्ष निदेश करे, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों का निर्वाचन करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री जी० के० वासन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अनुसरण में इस

सभा के सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन ऐसी रीति से जो अध्यक्ष निदेश करे, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों का निर्वाचन करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री कपिल सिब्बल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिनियमों के परिनियम 14 के खण्ड 1 और खण्ड 2 के उपखण्ड (चौबीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य उक्त परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन ऐसी रीति से जो अध्यक्ष निदेश करे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छः सदस्यों का निर्वाचन करें। इस रीति से निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012

19. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का संख्यांक 1) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.12 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

20. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा एलपीजी सिलेंडरों में लीकेज को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कम भार वाले सिलेंडरों की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) श्री जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर देश में नर्सिंग होमों का वर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री आर० धुवनारायण द्वारा विशेष रूप से कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संपूर्ण स्वच्छता अभियान की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर पृथक बोर्ड गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पी० बलराम नायक द्वारा एचएमटी इकाइयों का पुनरुद्धार किए जाने तथा इसके कर्मचारियों के वेतन संशोधन को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान के सूखा प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा जाली विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं के विरुद्ध देश में जन-जागरूकता का सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डा० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा प्रयोग में न लाए जाने वाले रेलवे स्टेशनों को बन्द किए जाने तथा गुजरात में हिम्मतनगर-उदयपुर खण्ड पर नए स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री पकौड़ी लाल द्वारा उत्तर प्रदेश के राबट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती कैसर जहां द्वारा सीतापुर से शाहजहांपुर, सीतापुर से लखनऊ और सीतापुर से लखीमपुर की मीटर गेज लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती जे० हेलन डेविडसन द्वारा फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होने तक कन्याकुमारी एक्सप्रेस (ट्रेन सं० 12634) को नागरकोइल जंक्शन रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म सं० 1 से होकर तथा केजेडटी रेलवे स्टेशन में सभी ट्रेनों को प्लेटफार्म सं० 1 से चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री यशवंत नारायण सिंह लागुरी द्वारा उड़ीसा में कोयले पर रायल्टी की दर का नियमित रूप से संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री जगदानन्द सिंह द्वारा बिहार में भूमिगत जल तथा गंगा सहित सभी नदियों को आर्सेनिक-मुक्त बनाए जाने तथा राज्य में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डा० किरोड़ी लाल मीणा द्वारा आनंदपुर साहिब जलविद्युत परियोजना के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 28 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 28 अगस्त, 2012/6 भाद्रपद, 1934 (शक)

संख्या 255

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 225 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 226—244 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) नॉर्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2012 जो 30 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 599(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) भाण्डागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (प्रत्यायन एजेंसी का पंजीकरण) विनियम, 2011 जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 18(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (भाण्डागार प्रत्यायन) विनियम, 2011 जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 19(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (भाण्डागार परक्राम्य प्राप्ति) विनियम, 2011 जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 20(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (बैठकें) विनियम, 2012 जो 14 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 147(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 1250(अ) जो 30 मई, 2012 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता करने और उसे सलाह देने के प्रयोजनार्थ मेट्रो रेल के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है तथा उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1994-1995 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1994-1995 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1995-1996 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1995-1996 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) पंजाब एग्री इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पंजाब एग्री इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) पौधा किस्म और कृषक अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार का संरक्षण (जीन फंड से मान्यता और रिवाइड) नियम, 2012 जो 31 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 601(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या कांआ 1535(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर्स के विनिर्देशों को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा विनिर्माण हेतु अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयास के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 11) (निष्पादन लेखापरीक्षा)—की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. अध्यक्ष द्वारा बैठक रद्द करने के बारे में घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि जैसाकि सोमवार, 27 अगस्त, 2012 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था, ओणम के अवसर पर बुधवार 29 अगस्त, 2012 को नियत सभा की बैठक रद्द की जाए।

मुझे आशा है सभा सहमत होगी।”

सभा सहमत हुई।

5. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) एकसमान जाति सत्यापन नीति और तत्संबंधी मुद्दों के बारे में श्री आर०वाई० बंकर, महासचिव, एयर कॉरपोरेशन एससी/एसटी इम्प्लायज एसोसिएशन, मुंबई से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (15वीं लोक सभा) द्वारा अपने 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।
- (2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 12क-4क में संशोधन करके और इसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम के फूड ट्रांसफरी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की उदासीकृत पेंशन योजना का विकल्प देने में समर्थ बनाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका पर याचिका समिति (15वीं लोक सभा) द्वारा अपने 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।
- (3) एचएफसीएल, हल्दिया के वीएसएस कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के बारे में श्री टी०के० चक्रवर्ती, पूर्व एसओ (यूएसएसडी) और अन्य से प्राप्त तथा श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (15वीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी० करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० चार्ल्स डिएस ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) दूसरा संशोधन विधेयक, 2011' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद' के बारे में 32वां प्रतिवेदन।
- (2) 'भूमि अभिलेख का कंप्यूटरीकरण' के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

9. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे अनुवर्ती कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (3) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 26वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

10. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने 'नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011' के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 53वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—
 - (एक) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग (डीएडीएफ), कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (3) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 'सीपीएमएफ/सीपीओ के कर्मचारियों की संख्या' के बारे में श्री मनीष तिवारी, संसद सदस्य द्वारा 21 अगस्त, 2012 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1525 के उत्तर में शुद्धिकरण करने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का 41वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों के नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) डॉ० मन्दा जगन्नाथ द्वारा समूह 'क' पदों में प्रोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में चेनगन्नूर रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने और एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में उसका उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ० (श्रीमती) कृपारानी किल्ली द्वारा देश में हथकरघा बुनकरों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) डॉ० निर्मल खत्री द्वारा फैजाबाद-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पथकर के संग्रहण को समाप्त करने तथा फैजाबाद और लखनऊ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर रौनाही में स्थित पथकर बैरियर पर सर्विस लेनों की संख्या बढ़ाया जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री इज्यराज सिंह द्वारा राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को किरायाती दरों पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (6) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजना आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री हरिभाऊ एम० जावले द्वारा एक पॉकेट में बेचे जाने वाले बीटी-कॉटन तथा नॉन-बीटी कॉटन रिफ्यूज बीजों के मूल्यों को औचित्यसम्मत और तर्कसम्मत तरीके से अलग-अलग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० वीरेन्द्र कुमार द्वारा तुलसी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रेस और उदयपुर-खजुराहो एक्सप्रेस को मध्य प्रदेश को टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओरछा, निबारी और हरपाल पुर रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा असम में बालाचेउरा और हरनगजाओं के बीच ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना आरंभ करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा इंदौर-खांडवा रेल लाईन को प्राथमिकता के आधार पर बड़ी लाईन में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल और निजी दूरसंचार प्रचालकों की मोबाईल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पंदई नदी के तट से पत्थर उत्खनन को अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री गजानन ध० बाबर द्वारा देश में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सड़क निर्माण में तेजी लाए जाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री एस० सेम्मलई द्वारा तमिलनाडु के सलेम जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (15) श्री जोस के० मणि द्वारा निजी प्रबंधन और तकनीकी संस्थाओं के विद्यार्थियों को बैंकों की शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराहन 2.02 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 30 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (शक)

संख्या 256

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

(एक) तारांकित प्रश्न संख्या 265 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 266—284 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(दो) चूंकि 29 अगस्त, 2012 को सभा की बैठक रद्द कर दी गई थी, अतः उस दिन की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 245—264 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

29 अगस्त, 2012 के लिए सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर भी आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2012 जो 1 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1732(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) तेरहवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

तेरहवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. विवरण संख्या 47 | दूसरा सत्र, 1999 |
| 2. विवरण संख्या 32 | ग्यारहवां सत्र, 2002 |

चौदहवीं लोक सभा

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 3. विवरण संख्या 27 | दूसरा सत्र, 2004 |
| 4. विवरण संख्या 26 | तीसरा सत्र, 2004 |
| 5. विवरण संख्या 28 | चौथा सत्र, 2005 |
| 6. विवरण संख्या 21 | आठवां सत्र, 2006 |
| 7. विवरण संख्या 20 | नौवां सत्र, 2006 |
| 8. विवरण संख्या 19 | ग्यारहवां सत्र, 2007 |
| 9. विवरण संख्या 16 | तेरहवां सत्र, 2008 |
| 10. विवरण संख्या 14 | चौदहवां सत्र, 2008 |
| 11. विवरण संख्या 13 | पंद्रहवां सत्र, 2009 |

पंद्रहवीं लोक सभा

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 12. विवरण संख्या 12 | दूसरा सत्र, 2009 |
| 13. विवरण संख्या 10 | तीसरा सत्र, 2009 |
| 14. विवरण संख्या 10 | चौथा सत्र, 2010 |
| 15. विवरण संख्या 7 | पांचवां सत्र, 2010 |
| 16. विवरण संख्या 6 | छठा सत्र, 2010 |

17. विवरण संख्या 5	सातवां सत्र, 2011
18. विवरण संख्या 4	आठवां सत्र, 2011 (खण्ड I और II)
19. विवरण संख्या 3	नौवां सत्र, 2011
20. विवरण संख्या 2	दसवां सत्र, 2012 (खण्ड I और II)

- (5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2012-13 का संख्यांक 13)।
- (दो) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्वायत्तशासी निकाय के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2012-13 का संख्यांक 14) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।
- (6) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि० 441(अ) जो 12 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सांकांनि० 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) सांकांनि० 486(अ) जो 21 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सांकांनि० 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 2012 जो 23 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 313(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) का०आ० 480(अ) जो 4 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 के प्रयोजनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर परिसंपत्तियों के मूल्य और आवर्त के मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- (दो) का०आ० 481(अ) जो 4 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अन्य उपक्रमों में 50 प्रतिशत से कम मताधिकारों का प्रयोग करने वाले 'गुप' को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 के उपबंधों से छूट दी गई है।
- (तीन) का०आ० 482(अ) जो 4 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ऐसे उपक्रम, जिसके नियंत्रण, हिस्सेदारी, मतदान अधिकारों या परिसंपत्तियों को अर्जित किया जा रहा है तथा जिसकी परिसंपत्तियों का मूल्य 250 करोड़ रुपए से अनधिक या आवर्त 750 करोड़ रुपए से अनधिक है, को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 के उपबंधों से छूट दी गई है, तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 27 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1218(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2012 जो 4 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 710/1(एम)/2 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विनियम, 2012 जो 25 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० सीडब्ल्यूआर(1)/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित 'राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र की गतिविधियाँ' के बारे में 60वां प्रतिवेदन।
- (2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित 'निवेशकों के धन का अलाभप्रद व्यय—सेबी' के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 61वां प्रतिवेदन।
- (3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) तथा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित 'विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 62वां प्रतिवेदन।
- (4) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग) से संबंधित 'अव्यपगतनीय केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) योजना' के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 63वां प्रतिवेदन।

5. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ चार्ल्स डिएस ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित 'सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान विधेयक, 2011' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री मुलायम सिंह यादव ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) “ग्रामीण प्रयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा” के संबंध में समिति के 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (2) “विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण” के संबंध में समिति के 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (3) “नवीन और नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण” के संबंध में समिति के 15वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (4) “छोटी और लघु हाइडल परियोजनाएं” के संबंध में समिति के 16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (5) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित “अनुदानों की मांगों (2011-12)” के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (6) विद्युत मंत्रालय से संबंधित “अनुदानों की मांगों (2011-12)” के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने वर्ष 2012-13 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के

बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री अनंत कुमार ने वर्ष 2011-12 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में नौवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने 'वर्तमान आर्थिक स्थिति और नीतिगत विकल्प' विषय पर वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 59वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2011' के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

12. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिस्वाल ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'फिरोजाबाद के काँच और चूड़ी कर्मकारों का कल्याण—एक मामला अध्ययन' के बारे में 32वां प्रतिवेदन।
- (2) वर्ष 2012-13 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

- (3) वर्ष 2012-13 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

13. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अरुण कुमार बुंडावल्ली ने 'पेट्रोलियम उत्पादों की अल्प-वसूलियों की चुनौतियाँ' विषय पर समिति के 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

14. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री शरद यादव ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के संबंध में समिति के 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।
- (2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के संबंध में समिति के 15वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

15. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री दारा सिंह चौहान ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के 17वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) (15वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

16. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2011' के बारे में 229वां प्रतिवेदन।
- (2) 'प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उठाए गए कदम' के बारे में 230वां प्रतिवेदन।

17. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री वैजयंत 'जय' पांडा ने सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद के कार्यक्रम के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 163वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

18. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

19. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 28 अगस्त, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 41वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

20. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू द्वारा उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन, चिंतामन और विक्रमनगर रेलवे स्टेशनों के विकास और सौन्दर्यीकरण का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लेवल क्रॉसिंगों को मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग के रूप में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा देश में आकाशवाणी के सभी नैमित्तिक उद्घोषकों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री के०पी० धनपालन द्वारा मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत गुंटूर-तेनाली-रेपाले, पगडीपल्ली-नालगोंडा-नल्लापडु के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण तथा गुंटूर-गुंतकल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री खिलाड़ी लाल बैरवा द्वारा शहरों को केरोसिन-मुक्त बनाए जाने के वर्तमान अभियान को ध्यान में रखते हुए देश में केरोसिन डीलरों को रसोई गैस की डीलरशिप मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में बारगी परियोजना की राइट बैंक कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री प्रहलाद जोशी द्वारा कर्नाटक में जिन किसानों की भूमि एनएच 218, एनएच 63 और एनएच 4 को जोड़ने वाले बाईपास के निर्माण के लिए अर्जित की गई है, उन्हें प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (9) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा विशेष रूप से कोयला क्षेत्र में बाहरी एजेन्सियों को आऊटसोर्स किए गए कार्यों में नियोजित कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री रामसिंह कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 की मरम्मत किए जाने, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाईपास का निर्माण किए जाने तथा राजगढ़ और चुरु के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग पर एक फ्लाईओवर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा कच्चे तेल के स्रोत मूल्य पर गुजरात को रॉयल्टी का भुगतान किए जाने तथा कच्चे तेल को छूट-पश्चात् मूल्य पर रॉयल्टी के आकलन के कारण गुजरात सरकार को उद्भूत शेष राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ० (श्रीमती) रत्ना डे नाग द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान करने में राज्य सरकार को समर्थ बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा देश में ग्रामीण डाक सेवकों को पर्याप्त मजदूरी और सेवा लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.10 बजे

21. सरकारी विधेयक—पारित

(एक) *रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2012, राज्य सभा द्वारा यथापारित।*

लिया गया समय: 48 मिनट

श्री श्रीकांत जेना द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए 13 अगस्त, 2012 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री श्रीकांत जेना ने प्रस्ताव किया कि राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 12.12 बजे

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012

लिया गया समय: 01 मिनट

श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 26 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री गुलाम नबी आजाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.13 बजे

(लोक सभा शुक्रवार 31 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 (शक)

संख्या 257

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 285 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 286—304 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) भारतीय वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 2011 जो 26 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 323 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक टिप्पण।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के पहले प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के पहले प्रतिवेदन के बारे में की-गई-कार्रवाई ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम, 2012 जो 29 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 517(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों और सम्बद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षाएं) विनियम, 2012 जो 19 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-15/2011-आयु (न्यूनतम मानक) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे 16.12.2011 को सभा पटल पर रखे गए।

- (11) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) ऊर्जा संरक्षण (अभिहित ग्राहकों के लिए ऊर्जा उपभोग सन्नियम और मानक प्ररूप, समयावधि जिसके भीतर, और स्कीम को तैयार तथा कार्यान्वित करने की रीति, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र के निर्गम की प्रक्रिया तथा खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य) नियम, 2012 जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 269(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) ऊर्जा संरक्षण के लिए अपील अधिकरण (प्रक्रिया, प्ररूप, शुल्क और कार्यवाही का अभिलेख) नियम, 2012 जो 28 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 510(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (12) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों द्वारा जल विद्युत क्षेत्र में क्षमता विस्तार के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 10) (निष्पादन लेखापरीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री पवन कुमार बंसल ने 3 सितम्बर, 2012 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.03 बजे

(लोक सभा सोमवार, 3 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 3 सितम्बर, 2012/12 भाद्रपद, 1934 (शक)

संख्या 258

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने नौवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री काशीराम राणा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 305 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 306—324 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या कांआ 1431(अ), जो 27 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) विदेश व्यापार नीति, 2009—2014 (5 जून, 2012 तक अद्यतन)।
 - (दो) हैण्डबुक ऑफ प्रोसीजर (वोल्यूम I), 2009—2014 (5 जून, 2012 तक अद्यतन)।
- (3) (एक) एनिमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एनिमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) ग्रामीण जन कल्याण परिषद् (इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम), मुजफ्फरपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) ग्रामीण जन कल्याण परिषद् (इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम), मुजफ्फरपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) हर्शल ग्रामीण विकास बहुउद्देश्यीय संस्था (इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम), चन्द्रपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) हर्शल ग्रामीण विकास बहुउद्देश्यीय संस्था (इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम), चन्द्रपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2012 जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1780(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2012 जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1781(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (8) वायुसेना अधिनियम, 1950 की धारा 191क के अंतर्गत वायुसेना (संशोधन) नियम, 2012 जो 31 मार्च, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 20 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 2275(अ) जो 30 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 1192(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 933(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर-स्वरूपगंज खंड) के निर्माण (बाईपास अथवा रीएलाइमेंट के निर्माण सहित

चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चार) का०आ० 2199(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (रतनपुर-अहमदाबाद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 1822(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) का०आ० 401(अ) जो 21 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 2379(अ) जो 15 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 825(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (आठ) का०आ० 2176(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 1594(अ) जो 11 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (पधी-दहोद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 2467(अ) जो 28 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-मुंबई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (ग्यारह) का०आ० 2191(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 622(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बारह) का०आ० 1278(अ) जो 2 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (सिरोही खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 1823(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 1841(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर-किशनगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पंद्रह) का०आ० 1068(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सोलह) का०आ० 1820(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 1078(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठारह) का०आ० 1837(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जैतपुर खंड)

के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (उन्नीस) का०आ० 944(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 347(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जेलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कीस) का०आ० 1817(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बाईस) का०आ० 934(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (किशनगढ़-बीवार खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेईस) का०आ० 2669(अ) जो 28 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-दहीसर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 1093(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 298(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (समाखियाली-गांधीधाम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (छब्बीस) का०आ० 2560(अ) जो 13 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-दहीसर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्ताईस) का०आ० 917(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में प्रस्तावित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे (वडोदरा-मुंबई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अट्ठाईस) का०आ० 1211(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ख (सूरत-दहीसर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (उनतीस) का०आ० 2190(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर-स्वरूपगंज खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीस) का०आ० 1271(अ) जो 2 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (गुजरात/महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतीस) का०आ० 1827(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 और 79क (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बत्तीस) का०आ० 405(अ) जो 21 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तैतीस) का०आ० 2007(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राँची-रारगांव खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौतीस) का०आ० 1120(अ) जो 16 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (पैंतीस) का०आ० 2272(अ) जो 30 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ (बाईपासों के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छत्तीस) का०आ० 2671(अ) जो 28 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर-फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतीस) का०आ० 2955(अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राँची-रारगांव खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तीस) का०आ० 724(अ) जो 8 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57क (भारत-नेपाल सीमा को जोड़ने वाला बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतालीस) का०आ० 1284(अ) जो 14 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 और 23 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए जिला भू-अर्जन अधिकारी, गुमला को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (चालीस) का०आ० 987(अ) जो 4 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए विशेष भू-अर्जन अधिकारी, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (इकतालीस) का०आ० 356(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1165(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बयालीस) का०आ० 639(अ) जो 28 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रारगांव-महुल्लिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैंतालीस) का०आ० 1924(अ) जो 19 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए जिला भू-अर्जन अधिकारी, गिरिडीह, झारखण्ड को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (चवालीस) का०आ० 797(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतालीस) का०आ० 2856(अ) जो 29 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रौंची-रारगांव खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियालीस) का०आ० 2363(अ) जो 14 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (मैनागुरी से धुपगुरी) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सैंतालीस) का०आ० 1777(अ) जो 1 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया-पूर्णिया

खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (अड़तालीस) का०आ० 1853(अ) जो 10 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनचास) का०आ० 1980(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (हजारीबाग-इन्द्रा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचास) का०आ० 2727(अ) जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यावन) का०आ० 337(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1208(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बावन) का०आ० 338(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1223(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तिरपन) का०आ० 339(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2217(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौवन) का०आ० 1972(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 अगस्त, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2077(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (पचपन) का०आ० 2001(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राँची-रारगांव खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (छप्पन) का०आ० 1993(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 (मोकामा-मुंगेर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतावन) का०आ० 2767(अ) जो 11 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राँची-रारगांव खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठावन) का०आ० 2658(अ) जो 28 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राँची-रारगांव खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनसठ) का०आ० 1207(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रामगढ़ बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (साठ) का०आ० 1282(अ) जो 2 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर-फरक्का खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकसठ) का०आ० 362(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1208(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बासठ) का०आ० 2897(अ) जो 6 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरसठ) का०आ० 358(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर-फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का०आ० 1985(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी, जिसमें लोक सभा को यह सूचित किया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति में शेष एक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के परिणामस्वरूप श्री अशक अली टाक, सदस्य, राज्य सभा को समिति के सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित किया गया है।

6. वित्तीय समितियां (2011-12)—एक समीक्षा

महासचिव ने “वित्तीय समितियां (2011-12)—एक समीक्षा” के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

7. अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 125वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

महासचिव ने 16 से 19 अक्टूबर, 2011 तक बर्न (स्विट्जरलैंड) में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 125वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पोत परिवहन मंत्री ने पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 164वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012।

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:

- (1) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिला अस्पताल, राजगढ़ में चिकित्सकों और विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा देश में बाघ अभ्यारण्यों के आसपास गश्त में तेजी लाए जाने तथा चौकसी मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्हें चौड़ा करने के कार्य को आरंभ किए जाने तथा इसकी अवसंरचना को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में मलयालम के शिक्षण के लिए एक केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री डॉ० भोला सिंह द्वारा स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को बरौनी पेट्रोलियम रिफाइनरी, बिहार से प्राथमिकता के आधार पर पेट्रोलियम कोक की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा गुजरात में नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा देश में साफ-सफाई के कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० किरीट पी० सोलंकी द्वारा गुजरात सफाई कामदार विकास निगम को आयकर का भुगतान करने से छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री पकौड़ी लाल द्वारा उत्तर प्रदेश के राबट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर प्रतिवेदन देने के लिए गठित विभिन्न समितियों की सिफारिशों के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में सहरसा रेलवे जंक्शन पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों का निर्माण किए जाने तथा सहरसा, मानसी और खगड़िया-हसनपुर रोड-समस्तीपुर जंक्शनों में प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ० रत्ना डे नाग द्वारा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में उन किसानों, जिनकी भूमि का अधिग्रहण सीमेंट कंपनियों द्वारा किया गया है, की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री प्रबोध पांडा द्वारा सुवर्णरेखा बैराज परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री राजू शेटी द्वारा महाराष्ट्र के हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों से कोल्हापुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऋण की वसूली को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.03 बजे

11. सरकारी विधेयक—पारित

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र(पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2011

लिया गया समय: 04 मिनट

श्री सुशील कुमार शिंदे की ओर से श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 12.07 बजे

(ii) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2010

लिया गया समय: 16 मिनट

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

*खण्ड 13, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

*खण्ड 14, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

*खण्ड 15, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

* भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011 के पारित होने के पश्चात् अपराह्न 12.20 बजे से अपराह्न 12.26 बजे तक लिया गया।

*खण्ड 16, स्वीकृत हुआ।

*खण्ड 17, स्वीकृत हुआ।

*खण्ड 18, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

*खण्ड 19, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

*खण्ड 20, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

*खण्ड 21 से 23, स्वीकृत हुए।

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2010 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 23क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

खंड 23क, भी स्वीकृत हुआ।

खंड 24 से 27, स्वीकृत हुए।

खंड 28, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 29, स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

*अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

*उद्देश्यिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

*श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

* भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011 के पारित होने के पश्चात् अपराह्न 12.20 बजे से अपराह्न 12.26 बजे तक लिया गया।

अपराहन 12.17 बजे

(iii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011

लिया गया समय: 03 मिनट

डॉ० सी०पी० जोशी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

डॉ० सी०पी० जोशी द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिने के लिए स्थगित हुई।)

अपराहन 12.26 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 4 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 4 सितम्बर, 2012/13 भाद्रपद, 1934 (शक)

संख्या 259

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 325—344 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3910 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत आयुध (संशोधन) नियम, 2012, जो 24 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 585(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2012-13 का संख्यांक 8) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) ऑर्गनाइजिंग कमिटी कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली, 2010, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) ऑर्गनाइजिंग कमिटी कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली, 2010, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) ऑर्गनाइजिंग कमिटी कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली, 2010, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) ऑर्गनाइजिंग कमिटी कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली, 2010, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (पांच) ऑर्गनाइजिंग कमिटी कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली, 2010, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (दान या भेंटों का प्रतिग्रहण या प्रतिधारण) नियम, 2012 जो 23 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 150 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना सं० का०आ० 1855(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं० का०आ० 2363(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 124 की उपधारा (3) के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2012 जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 447 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अंतर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 28 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० डीईएल: एनडीडीबी-01/12 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 और 15 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 1720(अ) जो 30 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 15 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक (अभियोजकों) की नियुक्ति के बारे में है।
- (दो) का०आ० 1583(अ) से का०आ० 1591(अ) जो 16 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत उसमें उल्लिखित 'न्यायाधीशों' के विशेष न्यायालयों में पीठासीन होने के लिए नियुक्ति के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 1545(अ) से का०आ० 1556(अ) जो 11 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत उसमें उल्लिखित विशेष लोक अभियोजक (अभियोजकों) की नियुक्ति के बारे में है।
- (10) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 जो 26 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 502(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. प्राक्कलन समिति का विवरण

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) से संबंधित 'खेल नीति, अवसंरचना तथा प्रशिक्षण सुविधाएं' के संबंध में प्राक्कलन समिति

(पंद्रहवीं लोक सभा) के की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

4. सरकारी आशवासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

राजकुमारी रत्ना सिंह ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) इस्पात, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा पंचायती राज मंत्रालयों से संबंधित लम्बित आशवासनों की समीक्षा के बारे में बाइसवां प्रतिवेदन।
- (2) आशवासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन।
- (3) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित लम्बित आशवासनों की समीक्षा के बारे में पच्चीसवां प्रतिवेदन।

5. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी ने 'आंगनवाड़ी कर्मचारियों की कार्यदशा' विषय संबंधी आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का विवरण

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी ने 'एचआईवी/एड्स की पीड़ित महिलाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि मंत्रालय से संबंधित 'अजैविक दबाव प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास और उत्पादनवर्धक प्रौद्योगिकियों का प्रचार—देश में अनुसंधान और विकास प्रयासों की समीक्षा तथा विस्तार प्रयास' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें तथा इक्कीसवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.05 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) डॉ० मंदा जगन्नाथ द्वारा आंध्र प्रदेश में गढ़वाल और मचेरला के बीच नई रेल लाइन की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एम० के० राघवन द्वारा देश में कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने तथा पॉम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम स्थित साइक्लोन वार्निंग सेंटर का प्रचालन जारी रखने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले युवकों को बीमा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब के होशियारपुर में नहर आधारित जल आपूर्ति योजना को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजेथुआ महावीरन धाम के विकास पर हुए खर्च की धनराशि के उपयोग की निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री विलास बी० मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा भारत-ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, बीना (मध्य प्रदेश) के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की तकलीफें कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री गणेश सिंह द्वारा उर्वरकों की कीमत वृद्धि वापस लिए जाने, देश में किसानों को पर्याप्त कृषि सब्सिडी तथा शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान, गिरिडीह, झारखण्ड को खोलने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री राकेश सचान द्वारा देश में किसानों को उर्वरकों पर सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किए जाने और इसकी स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लेवल क्रॉसिंग पर रेल उपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री एम० बी० राजेश द्वारा पलक्कड-पोलाची रेल लाइन के आमाम परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री अर्जुन चरण सेठी द्वारा उड़ीसा के भद्रक जिले में केन्द्रीय विद्यालय के स्थान परिवर्तन और निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री गजानन डी० बाबर द्वारा कृषि संबंधी एम०एस० स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने तथा किसानों के कल्याण हेतु उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा भरतपुरा गांव, पटना (बिहार) स्थित गोपाल नारायण लाइब्रेरी में रखी गई प्राचीन पांडुलिपि, सिक्के और पुरातात्विक महत्व की अन्य वस्तुओं की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री प्रेमदास राय द्वारा पहला पूर्णतः आर्गेनिक कृषि राज्य होने पर सिक्किम को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.06 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 03 मिनट

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर, विधेयक, 2012, राज्य सभा द्वारा यथापारित

श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से श्री एस० गाँधीसेलवन ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 33 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री एस० गाँधीसेलवन द्वारा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.09 बजे

(लोक सभा बुधवार, 5 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 5 सितम्बर, 2012/14 भाद्रपद, 1934 (शक)

संख्या 260

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा बधाई

सभा की ओर से अध्यक्ष ने लंदन में पैरालिम्पिक गेम्स, 2012 में श्री गिरीश होसनगारा नागराजेगौडा को रजत पदक जीतने पर बधाई दी।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 345—364 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कावरत्ती के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कावर्त्ती के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना का अधिकार नियम, 2012 जो 31 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 603(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) यूरिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (पांच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (5) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (4) के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा (खाद्य और सम्बद्ध उत्पादों का विकिरण प्रसंस्करण) नियम, 2012 जो 30 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 158 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसाइटी, रायपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसाइटी, रायपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) अटल बिहारी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अटल बिहारी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) गुजरात महिला समाख्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गुजरात महिला समाख्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) केरल महिला समाख्या सोसाइटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केरल महिला समाख्या सोसाइटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिजोरम, आइज़ोल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिजोरम, आइज़ोल के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (50) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (शिकायत निवारण के लिए तंत्र की स्थापना) विनियम, 2012, जो 7 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 37-3/लीगल/2012 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (मानकों के रखरखाव के लिए सूचना तथा विश्वविद्यालयों के तकनीकी निकायों के निरीक्षण का संचालन) विनियम, 2012, जो 25 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एस.ओ. 37-3/लीगल/2012 में प्रकाशित हुए थे।
- (57) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) मिजोरम एजुकेशन मिशन सोसाइटी, आइजोल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मिजोरम एजुकेशन मिशन सोसाइटी, आइजोल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (63) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी यू०टी० ऑफ दादर एण्ड नागर हवेली, सिलवासा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी यू०टी० ऑफ दादर एण्ड नागर हवेली, सिलवासा के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) (एक) सर्व शिक्षा अभियान कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यू०टी० मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यू०टी० मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) सर्व शिक्षा अभियान पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनी हिल्स के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान) मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान) मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (साउदर्न रीजन), चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (साउदर्न रीजन), चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० का०आ० 1510(अ) जो 6 जुलाई, 2012 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 7 जुलाई, 2012 से और 6 महीने की अवधि के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अधिक्रमण को बढ़ाए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (86) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों का संबंधन) (पहला संशोधन) विनियम, 2012 जो 26 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० 1-7/2007(सीपीपी-1/सी) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों का संबंधन) विनियम, 2009 जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं० 8 में प्रकाशित हुए थे।
- (87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (88) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) सां०का०नि० 616(अ) जो 6 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक सऊदी अरब और रूस से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “हेक्सामाइन” के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क की लेवी को बढ़ाया जाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (90) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (91) भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (शेयर बाजार तथा समाशोधन निगम) विनियम, 2012 जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/07/13546 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 2 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/03/5290 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 जो 21 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/04/11262 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर्स) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/40/7335 में प्रकाशित हुए थे।
- (92) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय पंजीकृति) नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 276(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) (संशोधन) नियम, 2012 जो 13 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 1578(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (93) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) सांका०नि० 546(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांका०नि० 498(अ) जो 22 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2012 जो 26 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में सांका०नि० 592(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का०आ० 1836(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०, (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का०आ० 1851(अ) जो 16 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में परिवर्तन के लिए परिशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (94) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सांका०नि० 620(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांका०नि० 621(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांका०नि० 622(अ) प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (95) कंती अधिनियड, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंती लिडिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंती लिडिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (ख) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंती लिडिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंती लिडिटेड, चेन्नई का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (96) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिडिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (97) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:—
- (एक) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली
- (दो) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी
- (तीन) पूर्वाचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर
- (चार) हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
- (पांच) नीलाचल ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर
- (छह) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच
- (सात) नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, इंदौर
- (आठ) श्रेयस ग्रामीण बैंक, अलीगढ़

- (नौ) वेनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक, सोलापुर
 (दस) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद
 (ग्यारह) सुरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुरगुजा
 (बारह) झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झबुआ
 (तेरह) नागालैंड रूरल बैंक, कोहिमा
 (चौदह) इल्लाकुअई देहाती बैंक, श्रीनगर
 (पन्द्रह) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
 (सोलह) कलिंगा ग्राम्य बैंक, कटक
 (सत्रह) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडापा
- (98) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उप-धारा (4) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उप-धारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (99) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (तीन) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (चार) देना बैंक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

- (पांच) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (छह) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (सात) यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (आठ) यूको बैंक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (नौ) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (दस) केनरा बैंक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (ग्यारह) कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (बारह) इंडियन बैंक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (तेरह) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (चौदह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (पंद्रह) यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (सोलह) विजया बैंक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

- (सत्रह) आंध्रा बैंक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (अठारह) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (उन्नीस) पंजाब और सिंध बैंक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (100) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) विदिशा भोपाल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 10 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० प्रका/कार्मिक/00140/2011-12 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) हिमाचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 15 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 300 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) मणिपुर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 2 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एमआरबी/आरआरबी-एक्ट/1/2011-12/306 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) नागालैंड ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 6 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एनआरबी/28/एचओ/12/854 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० बी०आर०जी०बी०/एच०ओ०/2010-11/मां०सं०प्र०/7381 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) हरियाणा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एचजीबी/एचआरडी/2010/5250 में प्रकाशित हुए थे।

- (सात) सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 30 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 280 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) सतलज ग्रामीण बटिंडा (पंजाब) बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 7 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं० आरआरबी/एचओ/स्टाफ/2011/769 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 15 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 303 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) काशी गोमती, सम्युत ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 24 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० के०जी०एस०जी०बी०/एचक्यू/कार्मिक/468/ 2011 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) वनांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 4 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एचक्यू/कार्मिक/679/2010-11 में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 6 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० 293 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) मेघालय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 15 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 302 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) कलिंगा ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 19 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 306 में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) कृष्णा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० मद सं० 20 में प्रकाशित हुए थे।

- (सोलह) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 17 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० स्टाफ/610/2010-11 में प्रकाशित हुए थे।
- (101) उपर्युक्त (100) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सोलह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (102) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत अधिसूचना सं० का०आ० 1605(अ) जो 18 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के नियम 55 के अंतर्गत प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के विनिर्माण में इस्तेमाल करने के लिए मॉर्फिन, कोडीईन, थेबैन और उनके लवणों का आयात करने के लिए मैसर्स सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्मे प्लाजा, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059 को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (103) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं० एफ० सं० एसएमडी/450 जो 25 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अनुषंगी बैंक सामान्य विनियम, 1959 के विनियमों में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (104) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (विवाद समाधान पैनल) (पहला संशोधन) नियम, 2012 जो 24 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 1967(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (105) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 3 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 606(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 3 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां कां निं 607(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियमन, 2012 जो 3 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां कां निं 608(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 3 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां कां निं 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या देना) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 3 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां कां निं 610(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (106) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (107) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (108) कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (109) भारत इम्पूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (110) आई० टी० आई० लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि 4 सितम्बर, 2012 को हुई बैठक में राज्य सभा 30 अगस्त, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० (श्रीमती) रत्ना डे (नाग) ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री गोविन्द चन्द्रा नास्कर ने निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'भारत संचार निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन' विषय पर नौवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) 'भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन' विषय पर पंद्रहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

श्री गोविन्द चन्द्रा नास्कर ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

- (1) फरवरी, 2011 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति द्वारा कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के किए गए अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) नवम्बर, 2011 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति द्वारा जोधपुर, मुम्बई, दीव और अहमदाबाद के किए गए अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

8. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी ने 'राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों का कार्यकरण' विषय पर बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) वित्त मंत्री की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आर्थिक मामले, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) कोयला मंत्री ने कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11 और 2011-12) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के चौथे, आठवें, तेरहवें, सोलहवें और इक्कीसवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (4) योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 223वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

10. सरकारी विधेयक—वापस लिया गया

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2009

अपराह्न 12.07 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा आंध्र प्रदेश के गुंटूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काज़ा गांव के पश्चिम की ओर भूमि का अधिग्रहण करके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 का पुनःसंरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री पी० बलराम नाईक द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सीधी भर्ती और पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता के मामले को सुलझाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री जयवंत जी० आवले द्वारा देश में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री दत्ता आर० मेघे द्वारा महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति से निपटने की योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री राज्ञैया सिरिसिल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं और सुविधाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ० निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद और बाराबंकी जिलों में सभी गांवों का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा भांग नीति की समीक्षा तथा भांग कृषकों के कल्याण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा बेतुल और नागपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 पर अंडर पास और सर्विस रोड के पर्याप्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) कुमारी सरोज पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री प्रेमदास कथीरिया द्वारा वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों को उत्पादित और आपूर्त उर्वरकों का ब्यौरा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (12) श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का चार लेन से 6 लेन में विस्तार करते हुए फ्लाईओवरों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार में उत्तरी कोएल सिंचाई परियोजना में स्लूइस गेट के निर्माण को पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री ए० के० एस्० विजयन द्वारा तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री पी० करुणाकरन द्वारा केरल राज्य में इंडोसल्फान कीटनाशक के प्रयोग के कारण प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य की सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री एम० आनंदन द्वारा तमिलनाडु के विल्लुपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कंडामंगलम रेल लेवल क्रॉसिंग पर रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) डॉ० तरूण मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ए०जे०सी० इंडियन बाँटैनिकल गार्डन में प्रतिदिन प्रातः भ्रमणकारियों के लिए निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराहन 12.08 बजे

(लोक सभा गुरूवार, 6 सितम्बर, 2012 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 6 सितम्बर, 2012/15 भाद्रपद, 1934 (शक)

संख्या 261

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने शिवकाशी, तमिलनाडु स्थित पटाखे बनाने वाली एक निजी फ़ैक्टरी में 5.9.2012 को लगी आग की दुःखद घटना, जिसमें लगभग 38 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 49 अन्य घायल हो गए, के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 365 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 366—384 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 11 के अंतर्गत जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए लोक उपापन नीति आदेश, 2012 जो 26 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 581(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एसएस नगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) आरआईटीईएस लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउन्टेंट (संशोधन) विनियम, 2012 जो 1 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं० 1-सीए(7)/145/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2012 जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 430(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 21 जून, 2012 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 485(अ) में प्रकाशित हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 67 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) प्रारूप अधिसूचना सं० एफ०सं० 1/1/2011-सीएल-पांच जिसमें विनिर्दिष्ट किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (1) के उपबंधों को सीमित दायित्व भागीदारियों तक बढ़ाया जाएगा।
- (दो) प्रारूप अधिसूचना सं० एफ०सं० 1/1/2011-सीएल-पांच जिसके द्वारा मुम्बई, नोएडा, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद के प्रादेशिक निदेशकों को उक्त अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की शक्तियां और कृत्य प्रत्यायोजित किए गए हैं।
- (13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) कंपनी (दस्तावेजों और प्रारूपों को वितान्य कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2011 जो 5 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 748(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) संशोधन नियम, 2012 जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 395(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) कंपनी निदेशक पहचान संख्या (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 429(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 2012 जो 31 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 411(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन और याचिकाओं पर फीस) (संशोधन) नियम, 2012 जो 10 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 547(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 2012 जो 10 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 548(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (चौथा संशोधन) नियम, 2012 जो 19 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 577(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (पांचवां संशोधन) नियम, 2012 जो 26 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 588(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) कंपनी (लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2011 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) सा०का०नि० 650(अ) जो 30 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 179(अ) में कतिपय लेखा मानक अंतःस्थापित किए गए हैं।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप, 1956 के नियम 5क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 733(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सहायक आय कर आयुक्त, गुवाहाटी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 108 की उप-धारा (1क) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 298(अ) जो 17 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 14 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 1538(अ) जो 10 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन उसमें उल्लिखित कंपनी रजिस्ट्रार को केन्द्रीय सरकार की शक्तियां और कृत्य प्रत्यायोजित किए गए हैं।
- (दो) का०आ० 1539(अ) जो 10 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन उसमें उल्लिखित निदेशक रजिस्ट्रार को केन्द्रीय सरकार की शक्तियां और कृत्य प्रत्यायोजित किए गए हैं।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि राज्य सभा 3 सितम्बर, 2012 को हुई अपनी बैठक में, श्री पी० आर० राजन द्वारा राज्य सभा से अवकाश ग्रहण करने के कारण हुए रिक्त स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा उन्होंने राज्य सभा के सदस्य डॉ० टी०एन० सीमा, जो उक्त समिति के लिए विधिवत् निर्वाचित हुए हैं, के नाम की सूचना भी दी।
- (दो) कि राज्य सभा 5 सितम्बर, 2012 को हुई अपनी बैठक में, प्रो० पी० जे० कुरियन द्वारा राज्य सभा से अवकाश ग्रहण करने के कारण हुए रिक्त स्थान पर राज्य सभा के एक

सदस्य को दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा उन्होंने राज्य सभा के सदस्य श्री आनंद भास्कर रापोलू, जो उक्त समिति के लिए विधिवत् निर्वाचित हुए हैं, के नाम की सूचना भी दी।

6. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

(1) श्री शत्रुघ्न सिन्हा	08.08.2012 से 25.08.2012
(2) श्री डी० वेणुगोपाल	09.08.2012 से 07.09.2012
(3) श्री मधु कोड़ा	08.08.2012 से 07.09.2012
(4) श्री दिलीप सिंह जूदेव	08.08.2012 से 29.08.2012
(5) श्री वार्ड ए० जगन मोहन रेड्डी	10.05.2012 से 22.5.2012
	तथा
	08.08.2012 से 07.09.2012
(6) श्री सुब्रत बक्शी	08.08.2012 से 02.09.2012

7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किया।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का पुनरुज्जीवन और पुनर्गठन' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

पथ विव्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012

अपराहन 12.04 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) डॉ० चार्ल्स डिएस द्वारा देश में नारियल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्रीमती चन्द्रेश कुमारी द्वारा पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों/शरणार्थियों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री सतपाल महाराज द्वारा पर्वतीय राज्यों विशेष रूप से उत्तराखण्ड में भू-क्षरण को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने तथा वाटरशेड परियोजनाओं के रखरखाव के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री हमदुल्ला सईद द्वारा मंगलोर पत्तन से लक्षद्वीप तक निर्माण सामग्री की दुलाई पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड, केरल में महान समाज सुधारक महात्मा अय्यंकली के नाम पर एक पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री एस्.एस. रामासुब्बु द्वारा एक नया तिरुनेलवेली रेलवे डिवीजन, जिसका मुख्यालय तिरुनेलवेली में हो, बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा देश में पर्याप्त संख्या में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री नारनभाई कछाड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में रेल सेवाएं बढ़ाए जाने और यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (9) श्रीमती रमा देवी द्वारा विशेष रूप से बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड जारी करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड के पाकुड़, दुमका और देवधर जिलों को एकीकृत कार्य योजना में शामिल किए जाने तथा इन जिलों में कार्य योजना के अंतर्गत सभी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए अनुसार सोनचिरैया पशुविहार की सीमाओं के डीनोटिफिकेशन को अनुमोदित किए जाने तथा पशुविहार के अंतर्गत क्षेत्र को डीनोटिफाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री हरिभाऊ माधव जावले द्वारा देश में सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में प्रतिदिन राष्ट्रीय गान का गायन अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री मिथिलेश कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश में कतिपय राष्ट्रीय राजमार्गों के पुलों पर टोल टैक्स उद्ग्रहण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री कपिल मुनि करवारिया द्वारा इलाहाबाद में वर्ष 2013 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद के आसपास के धार्मिक स्थानों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री पूर्णमासी राम द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में गंडक नदी द्वारा किए गए ग्रामीण भूमि के क्षरण के कारण विस्थापित हुए परिवारों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री पी०आर० नटराजन द्वारा उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के समय पात्र छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में कटक-बारंग खण्ड पर मेजर ब्रिज संख्या 559 पर एक अतिरिक्त ओपनिंग सुलभ कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (18) श्री भाउसाहेब वाकचौरे द्वारा महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पेयजल उपलब्ध कराने तथा रोजगार गारंटी योजना को बढ़ाए जाने के लिए वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.05 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934 (शक)

संख्या 262

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 385—404 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4371—4600 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 53 के अंतर्गत नैदानिक स्थापन (केन्द्रीय सरकार) नियम, 2012 जो 25 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 387(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन (तीसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 17 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि० 574(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012 जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि० 669(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) लौह अयस्क और मैंगनीज के अवैध खनन के संबंध में न्यायमूर्ति एम०बी० शाह जांच आयोग—गोवा राज्य के बारे में रिपोर्ट।
- (दो) उपर्युक्त रिपोर्ट पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।
- (5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दमण एवं दीव संघ राज्यक्षेत्र, नानी दमन के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दमण एवं दीव संघ राज्यक्षेत्र, नानी दमन के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लक्षद्वीप, कावरत्ती के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लक्षद्वीप, कावरत्ती के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) (एक) झारखंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, राँची के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) झारखण्ड सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, राँची के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल भूमि विकास प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2012 जो 15 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 368(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (25) कं॒पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (27) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।
- (28) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 16 के उप-खड (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 1524(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राज्य एजेन्सियों को खरीफ विपणन सीजन 2012-13 के लिए 3.50 लाख गट्टरों की कुल मात्रा की सीमा तक 17.1.2012 के आदेश संख्या का०आ० 88(अ) के प्रचालन से छूट दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।
- (29) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) :—
- (1) वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की तिमाही समीक्षा ।
- (2) मध्य-अवधि व्यय ढांचा, सितम्बर, 2012
- (30) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (31) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 48/2012-सी० शु० जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसका आशय 30 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 125/2011-सी० शु० का संशोधन करना है तथा जिसमें दक्षेस मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क की अधिमान्य दरों को विहित किया गया है ताकि गैर-अल्पतम विकसित देशों के लिए संवेदी सूची में टैरिफ लाइनों की संख्या को 878 से कम करके 614 किया जा सके तथा संवेदी सूची से हटाई गई टैरिफ लाइनों द्वारा कवर किए गए माल पर 8 प्रतिशत के बुनियादी सीमा-शुल्क की अधिमान्य दर विहित की जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (32) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 के अंतर्गत अधिसूचना सं० एफ० सं० 8-4/2011-स्था० जो 23 मार्च, 2012 के भारत साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 के विनियम 81 और 82 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा उसका शुद्धिपत्र जो 20 जुलाई, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं० 28 (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) कोल माईन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
- (दो) कोल माईन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) कोल माईन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
- (दो) कोल माईन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) फूड एण्ड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फूड एण्ड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) डॉ॰ बी॰ बरूआ कैंसर इंस्टिट्यूट, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डॉ॰ बी॰ बरूआ कैंसर इंस्टिट्यूट, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) लेखा पृथक्करण संबंधी सूचना प्रणाली विनियम, 2012 जो 11 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 16-07/2010-एफए में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतर्संबंध (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० 3-24/2012-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 19 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० एफ० सं० 3-24/2012-बीएण्डसीएस का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (तीन) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतर्संबंध (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (पहला संशोधन) विनियम, 2012 जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० 3-24/2012- बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) “उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (2012 का 13)” जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 16-3/2012-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) टेलीकम्युनिकेशन मोबाईल नम्बर पोर्टेबिलिटी (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 8 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 116-5/2012-एमएन में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 27 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 308-5/2011-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) मोबाईल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) विनियम, 2012 जो 17 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 305-27/2011 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ बेसिक टेलीफोन सर्विस (वायरलाईन) एण्ड सेल्यूलर मोबाईल टेलीफोन सर्विस (संशोधन) विनियम, 2012 जो 7 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 305-08/2012-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमान (नौवां संशोधन) विनियम, 2012 जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 305-24/2011-क्यूओएस (एसपी) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) “सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की कालावधि) विनियम, 2012 (2012 का 15)” जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 23-1/2012-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) “सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (2012 का 12)” जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 16-2/2012-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(44) उपर्युक्त (43) की मद संख्या (एक), (दो), (छह) और (सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

श्री कड़िया मुंडा ने वर्तमान सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 27वीं से 29वीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

4. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

डॉ० बलिराम ने 4 सितम्बर, 2012 को आयोजित सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 7वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने (i) ‘तम्बाकूजनित बीमारियां’ के बारे में सर्वश्री माकन सिंह सोलंकी और अधलराव शिवाजी पाटील, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 610 के संबंध में 18 मई, 2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) जनजातीय कार्य और पंचायती राज मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (दो) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (4) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 371ज का अंतःस्थापन)।

अपराहन 12.07 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री को०पी० धनपालन द्वारा केरल में संरक्षित स्मारकों के समीप भवनों के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा देश के अन्य भागों में कार्यरत आशा कर्मकारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इन्सेंटिव बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री हरीश चौधरी द्वारा 'अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों' के वर्गीकरण के लिए पात्र मानदण्ड में बदलाव लाने हेतु ऐसी आबादी के मौजूदा 25 प्रतिशत के कट-ऑफ सीमा को कम करके 20 प्रतिशत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (5) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा सरकारी परियोजनाओं को वरीयता दिए जाने तथा नेडुनूर में आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को गैस उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक नीति अपनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री एन०एस०वी० चित्तन द्वारा चेन्नई और मदुरई के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य किए जाने तथा तमिलनाडु के विल्लुपुरम और डिंडीगुल के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा लोक भविष्य निधि और डाक बचत स्कीमों के अभिकर्ताओं को कमीशन पुनः बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री अशोक अर्गल द्वारा मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा सिलचर, असम से भारतीय सर्वेक्षण के भू-अंतरिक्ष केन्द्र के कार्यालय को शिलांग स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रत्नागढ़-सरदारशहर रेलवे लाइन के पश्चिम भाग में नए भवन और रेलवे प्लेटफार्म का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चौकीदारयुक्त रेलवे समपारों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्रीमती भावना गवली पाटील द्वारा कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत लाभार्थियों को दिए जा रहे पेंशन की पुनरीक्षा करने तथा उसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री पी० लिंगम द्वारा तमिलनाडु के तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रायगिरि में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री सानलुमा खुंगुर बैसीमुथियारी द्वारा पृथक बोडोलैंड राज्य का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. प्रस्ताव

श्री एस० सेम्मलई ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा क्रमशः 23 अगस्त और 30 अगस्त, 2012 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 28वें और 29वें प्रतिवेदनों से इस

उपांतरण के अध्यक्षीन सहमत हैं कि संकल्पों के लिए समय के नियतन के संबंध में 29वें प्रतिवेदन के पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा (दो) का लोप किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.09 बजे

9. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराहन 12.10 बजे

(लोक सभा अपराहन 12.10 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।